भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

आरबीआई/विवि/2025-26/349

विवि.एफ़आईएन.आरईसी.नं.268/20.16.056/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 (01 जुलाई, 2026 तक अपडेट किया गया)

विषय-सूची

अध्याय I - प्रारंभिक 3

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3

बी. प्रयोज्यता 3

सी. परिभाषाएँ 4

अध्याय II - सीआईसी की सदस्यता 6

अध्याय III - क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार 7

ए. डेटा प्रारूप 7

बी. रिपोर्टिंग समयसीमा और अद्यतन 7

सी. रिपोर्टिंग दिशानिर्देश 8

डी. अस्वीकृत डेटा का सुधार और डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की समीक्षा 15

ई. क्रेडिट सूचना रिपोर्ट का सुधार 15

एफ. ऋण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना रेपोर्टों का उपयोग 16

जी. सूचना का प्रदर्शन 16

एच. विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए अन्य निदेशों की प्रयोज्यता 18

अध्याय IV – तकनीकी कार्य समूह 19

अध्याय V - ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण 21

ए. ग्राहक सेवा को मजबूत करना 21

बी. ग्राहकों को मुआवजे के लिए रूपरेखा 22

सी. रिज़र्व बैंक- एकीकृत लोकपाल योजना 31

डी. आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति 31

अध्याय VI - सर्वोत्तम प्रथाएं 32
अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान 33
ए. निरसन और व्यावृत्ति 33
बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं 33
सी. व्याख्याएं 34
अनुबंध I 35
अनुबंध II 73
अनुबंध III 74
अनुबंध IV 83
अनुबंध V 84
अनुबंध VI 85

परिचय

इन निदेशों का उद्देश्य क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग और वितरण के लिए एक मानकीकृत ढांचा स्थापित करना; संवेदनशील ऋण डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना; और क्रेडिट ऋण जानकारी रिपोर्टिंग से संबंधित मामलों पर उपभोक्ताओं को उनकी ऋण जानकारी तक पहुंच प्रदान करने तथा शिकायत निवारण के लिए तंत्र उपलब्ध कराना है।

तदनुसार, क्रेडिट सूचना कंपनी (विनियमन) अधिनियम, 2005 (जिसे इसके पश्चात 'सीआईसीआरए' कहा गया है) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ('आरबीआई'), इस बात से संतुष्ट होते यह समाधान पाते हुए कि जनहितलोकहित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीनउचित है, एतद्द्वारा इसके पश्चात विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

A. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों का नाम भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां – क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग) निदेश, 2025 होगा।

2. जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया जाए, यह निदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

B. प्रयोज्यता

3. (1) यह निदेश निम्नलिखित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों [इसके बाद सामूहिक रूप से 'क्रेडिट संस्थाएं (सीआई)' और व्यक्तिगत रूप से 'क्रेडिट संस्था (सीआई)' कहा जाएगा] पर सभी स्तरों के लिए लागू होंगे, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो:

(i) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-डी;

(ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईसीसी;

(iii) फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-फैक्टर;

(iv) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-एमएफआई;

(v) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-आईएफसी;

(vi) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत आईडीएफ-एनबीएफसी;

(vii) एनएचबी अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एचएफसी;

(viii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीएफसी-पी2पी;

(ix) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत कोर निवेश कंपनी

(2) ये निदेश निम्नलिखित पर लागू नहीं होते:

(i) बंधक गारंटी कंपनियों के पंजीकरण की योजना के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एमजीसी।

(ii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत एनबीसी-एए;

(iii) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीसी के रूप में पंजीकृत एसपीडी;

(iv) आरबीआई अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के तहत आरबीआई के साथ एनबीसी के रूप में पंजीकृत एनओएफएचसी;

(v) ग्राहक संपर्क न रखने वाली एनबीसी।

नोट: इन निदेशों के अंतर्गत प्रयोज्यता भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और पैमाने आधारित विनियमन के लिए ढांचा) निदेश, 2025 में निर्धारित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए नियामक संरचना के अनुरूप है।

C. परिभाषाएँ

4. इन निदेशों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, यहाँ प्रयुक्त पदों के वही अर्थ होंगे जो नीचे दिए गए हैं:

(1) 'कंपनी' से तात्पर्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 या कंपनी अधिनियम, 2013 की तदनुरूपीधारा के तहत परिभाषित कंपनी से है।

(2) 'क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी)' से तात्पर्य उन कंपनियों से है जिन्हें सीआईसीआरए की धारा

5 के तहत पंजीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है। सीआईसीआरए की धारा 5 के तहत आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी निम्नलिखित हैं:

क्रम संख्या	**आरबीआई के साथ पंजीकृत सीआईसी की सूची**	**पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की तिथि**
1.	सीआरआईएफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	25 नवंबर 2010
2.	इक्विफैक्स क्रेडिट इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	26 मार्च 2010
3.	एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	17 फरवरी 2010
4.	ट्रांसयूनियन सिबिल लिमिटेड	05 मार्च 2012

(3) 'विनिर्दिष्ट उपयोगकर्ता (एसयू)' का वही अर्थ होगा जो इसे सीसीआरए की धारा 2 के खंड (एल) के अंतर्गत सौंपा गया है और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियम, 2006 के विनियमन 3 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है, जिसे इसके बाद 'सीआईसी विनियम' (समय-समय पर संशोधित) के रूप में संदर्भित किया गया है।

5. इन निदेशों में प्रयुक्त ऐसे शब्द या पद जिन्हें यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सीआईसीआरए, 2005, क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 (जिन्हें इसमें आगे 'सीआईसी नियम' कहा गया है) और क्रेडिट सूचना कंपनी विनियम, 2006 (जिन्हें इसमें आगे 'सीआईसी विनियम' कहा गया है) में परिभाषित किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो इन अधिनियमों /नियमों /विनियमों में दिया गया है। इन निदेशों या उक्त अधिनियमों/नियमों/विनियमों में परिभाषित नहीं किए गए और भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 या बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या कंपनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित किसी अन्य शब्द या पद का वही अर्थ होगा जो इन अधिनियमों में दिया गया है।

अध्याय II - सीआईसी की सदस्यता

6. एक सीआई को भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ पंजीकृत सभी सीआईसी का सदस्य बनना होगा।
7. सीआईसी द्वारा एक सीआई से उनकी सदस्यता हेतु लिया जाने वाला एकमुश्त सदस्यता शुल्क प्रत्येक के लिए 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा।
8. सीआईसी द्वारा एक सीआई से लिया जाने वाला वार्षिक शुल्क प्रत्येक के लिए 5,000/- रुपये से अधिक नहीं होगा।

अध्याय III - क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग और प्रसार

A. डेटा प्रारूप

9. एक सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग अनुबंध-I में निर्धारित मानकीकृत डेटा प्रारूपों में की जाएगी। यह मानकीकृत डेटा प्रारूप गैर-स्वामित्व वाले रिपोर्टिंग प्रारूप होंगे और इन्हें 'एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप' (यूसीआरएफ) के रूप में जाना जाएगा, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(1) प्रारूप 1: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (उपभोक्ता) – उपभोक्ता खंड के लिए।

(2) प्रारूप 2: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (वाणिज्यिक) – वाणिज्यिक खंड के लिए।

(3) प्रारूप 3: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई) – सूक्ष्म वित्त खंड के लिए।

B. रिपोर्टिंग समय-सीमा और अद्यतनीकरण

10. एक सीआई रिपोर्टिंग समयसीमा और अद्यतन पर निम्नलिखित दिशानिर्देशों का पालन करेगा:

(1) एक सीआई अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी (ऐतिहासिक डेटा सहित) पर डेटा सभी सीआईसी को प्रस्तुत करेगा।

(2) [1]किसी सीआई को अपने द्वारा एकत्रित/संरक्षित क्रेडिट सूचना को निम्नलिखित आधार पर अथवा सीआई और सीआईसी के बीच पारस्परिक रूप से सहमत कम अंतराल पर नियमित रूप से अद्यतन रखना होगा :

(i) एक सीआई को महीने की 9वीं, 16वीं, 23वीं और अंतिम तारीख (जिसे आगे संदर्भ तिथियां कहा जाएगा) तक की क्रेडिट सूचना सीआईसी को प्रस्तुत करनी होगी।

(ii) एक सीआई को महीने के आखिरी दिन तक के क्रेडिट संबंधी सभी रिकॉर्ड वाली पूरी फाइल अगले महीने की 5 तारीख तक सीआईसी को जमा करनी होगी। इस उद्देश्य के लिए पूरी फाइल में सीआई के बहीखातों में दर्ज सभी सक्रिय खाते और वे खाते शामिल होंगे जिनमें उधारकर्ता और सीआई के बीच संबंध पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के बाद समाप्त हो गया है।

(iii) महीने के दौरान अन्य प्रस्तुतियाँ, जैसे कि महीने की 9वीं, 16वीं और 23वीं तारीख तक के क्रेडिट सूचना अभिलेखों के लिए, एक सीआई को केवल सीआईसी को 'वृद्धिशील खाते'

[1] 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

प्रस्तुत करने होंगे। सीआई को उपर्युक्त तिथियों से चार (4) कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को ऐसी क्रेडिट सूचना प्रस्तुत करनी होगी। इस प्रयोजन के लिए वृद्धिशील खातों में निम्नलिखित खातों से संबंधित विवरण शामिल होंगे:

A. पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के बाद खोले गए खाते;
B. वे खाते जिनमें उधारकर्ता और सीआई के बीच संबंध पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि के बाद समाप्त हो गया है;
C. वे खाते जिनमें उधारकर्ता द्वारा शुरू की गई किसी कार्रवाई/लेनदेन के कारण पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि से परिवर्तन हुआ है, और इसमें पुनर्भुगतान, बकाया राशि में परिवर्तन, जनसांख्यिकीय विवरणों में अद्यतन, संबंधित पक्ष, गारंटर, खाते का स्वामित्व, खाते का प्रकार शामिल हैं; और
D. ऐसे खाते जिनमें मूलधन पर ब्याज और/ या किस्त अतिदेय हो

स्पष्टीकरण: पिछली रिपोर्टिंग संदर्भ तिथि से केवल बकाया दिनों में परिवर्तन वाले खाते भी रिपोर्टिंग का हिस्सा होंगे।

(iv) रिपोर्टिंग के लिए समयसीमा पर एक उदाहरण अनुबंध-VI में दिया गया है।

(v) सीआईसी, डेटा जमा करने की समयसीमा का पालन करने में विफल रहने वाले सीआई की सूची को सूचना और निगरानी उद्देश्यों के लिए अर्धवार्षिक अंतराल पर (प्रत्येक वर्ष 31 मार्च और 30 सितंबर को) भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय के पर्यवेक्षण विभाग को DAKSH पोर्टल पर रिपोर्ट करेंगे।

(3) सीआई को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीआईसी को प्रस्तुत किए गए रिकॉर्ड नियमित रूप से अद्यतन किए जाएं और चुकौती की कोई भी घटना, अंतिम किस्त सहित, बिना रिपोर्ट किए न रहे।

C. रिपोर्टिंग दिशानिर्देश

11. सीआईसी द्वारा सीआईसी के साथ क्रेडिट सूचना साझा करने के लिए सीआईसीआरए कानूनी आधार प्रदान करता है, जो उसमें निर्धारित शर्तों के अधीन है। इसलिए, सीआईसीआरए के लागू होने के साथ, 'सहमति खंड' की आवश्यकता अप्रासंगिक हो गई है और सीआई को उधारकर्ताओं से ऐसी सहमति प्राप्त करने का आग्रह करने की आवश्यकता नहीं है।

12. सीआई को यूसीआरएफ में क्रेडिट सूचना की रिपोर्ट करते समय, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित दिशानिर्देशों का अनुपालन करना होगा:

(1) वाणिज्यिक रिपोर्टिंग खंड में, कंपनी की कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन) और कंपनी के निदेशकों का ऋण इतिहास (डीआईएन संख्या के आधार पर) रिपोर्ट किया जाएगा।

(2) सीआई को उन मामलों की, जिनमें समझौता निपटान किया गया है तथा ऐसे समझौता निपटान का कारण, निर्धारित डेटा प्रारूपों में सीआईसी को सूचित करना होगा।

(3) आंशिक किस्त बकाया होने के संबंध में, सीआई को डेटा जैसा है वैसा ही प्रस्तुत करना होगा, जबकि राशि और अवधि के आधार पर कौन से फिल्टर लागू करने हैं, इस पर गुणात्मक जानकारी डेटा का उपयोग करने वाले एसयू और अन्य द्वारा की जाएगी।

(4) सीआई को 'निपटाया गया' स्थिति का उपयोग केवल विशिष्ट स्थितियों को दर्शाने के लिए करना होगा, जहां मूल नियमों और शर्तों के अनुसार चुकौती करने की वित्तीय अक्षमता के कारण ग्राहक को मूलधन या ब्याज में छूट या दोनों, प्रदान की जाती है।

स्पष्टीकरण: सीआई को ऐसे ग्राहकों को नया ऋण देने से पहले ऐसी स्थिति के बारे में अवगत होना चाहिए। त्रुटिपूर्ण डेबिट या विवादित प्रभारों वाले मामलों की रिपोर्ट 'निपटाया गया' के रूप में नहीं बल्कि 'विवादित' के रूप में की जानी चाहिए।

(5) कंपनियों द्वारा जारी वाणिज्यिक पत्रों (सीपी) की जानकारी की रिपोर्ट उस सीआई द्वारा पाक्षिक आधार पर सीआईसी को की जाएगी जिसे विशिष्ट सीपी मुद्दे के लिए जारी करने और भुगतान एजेंट (आईपीए) के रूप में नामित किया गया है। यदि एकल सीपी मुद्दे के लिए कई आईपीए हैं, तो ऐसे प्रत्येक आईपीए को सीआईसी को उस मुद्दे के उस हिस्से से संबंधित विवरण रिपोर्ट करना होगा जो उनके पास है। यह जानकारी अनुबंध-II में उल्लिखित क्षेत्रमें वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में रिपोर्ट की जाएगी। आईपीए को संबंधित सीपी मुद्दे की चुकौती में किसी भी चूक की भी रिपोर्ट सीआईसी को करनी होगी। आईपीए की रिपोर्टिंग आवश्यकता को देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाता है कि निवेशक सीआई को सीपी की जानकारी, सीआईसी को रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

(6) व्यक्तिगत उधारकर्ताओं के अरक्षितविदेशी मुद्रा एक्सपोजर (यूएफसीई) से संबंधित जानकारी की रिपोर्ट, उधार देने वाले सीआई (एकल उधारदाताओं के मामले में)/ सहायता संघ अग्रणी (सहायता संघ व्यवस्थाओं के मामले में)/ सबसे बड़े उधारदाता (एकाधिक उधार व्यवस्थाओं के मामले में) द्वारा पाक्षिक आधार पर सीआईसी को की जाएगी।

(7) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी)/ राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलिय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) में स्वीकार किए गए मामलों

की रिपोर्ट सीआईसी को रिपोर्ट करते समय समान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप में मुकदमा दायर किए गए मामलों के तहत की जाएगी।

(8) 01 जुलाई 2018 या उसके बाद खोले गए सभी खातों के लिए सीआई द्वारा सीआईसी को आरएस डेटा की रिपोर्टिंग अनिवार्य है।

स्पष्टीकरण:

(ए) वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में संबंध खंड के 'संबंध' क्षेत्र के तहत शेयरधारकों की जानकारी की रिपोर्टिंग केवल उन शेयरधारकों के लिए की जानी चाहिए जो भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - अपने ग्राहक को जानें) निदेश, 2025 के अंतर्गत परिभाषित 'लाभकारी मालिक' हैं, यथासमयसंशोधित।

(बी) सीआईसी द्वारा सीआई को उधारकर्ता की व्यापक ऋण सूचना प्रदान करते समय तीन मॉड्यूलों अर्थात उपभोक्ता, वाणिज्यिक और एमएफआई में क्रॉस-लिंकेज स्थापित करने में संबंध खंड (आरएस) का ब्यौरा महत्वपूर्ण है।

(सी) तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) द्वारा शेष विरासत आंकड़ों की सूचना देने के लिए समय-सीमा की समीक्षा की जाएगी और सीआई को उचित समय पर सलाह दी जाएगी। सीआईसी मासिक आधार पर आरएस डेटा की रिपोर्टिंग पर निदेशों का पालन नहीं करने वाले सीआई की सूची पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस), केंद्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करेंगे।

(9) क्रॉस रिपोर्टिंग के लिए दिशानिर्देश, उदाहरण के लिए, जहां व्यक्ति उधारकर्ता है और कॉर्पोरेट सह-उधारकर्ता है, या इसके विपरीत, सीआईसी द्वारा स्पष्ट रूप से सूचित किए जाएंगे। प्रारूपों में डेटा शामिल करने के लिए फ़ील्ड हैं, जहां उपभोक्ता डेटा उपभोक्ता डेटा प्रारूप में और सह-उधारकर्ता वाणिज्यिक डेटा प्रारूप में रिपोर्ट किया जाएगा।

(10) [2]एक सीआई अपने उधारकर्ताओं का केंद्रीय केवाईसी (सीकेवाईसी) नंबर सीआईसी को सूचित करेगा, जहां भी यह उसके पास उपलब्ध हो अथवा जब भी सीकेवाईसी नंबर उपलब्ध कराया जाए (सीकेवाईसी नंबर के लिए नए आवेदकों के मामले में)।

13. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के सदस्यों का डेटा

(1) एसएचजी को वित्तपोषण करने वाले सीआई अनुबंध I में उल्लिखित यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग

[2] 01 जुलाई 2026 से लागू किया गया।

फॉर्मेट (एमएफआई) में सीआईसी को एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा की रिपोर्ट करेंगे।

(2) सीआई द्वारा सीआईसी को एकत्र की जाने वाली और रिपोर्ट की जाने वाली एसएचजी सदस्यों के संबंध में क्रेडिट जानकारी की संरचना नीचे दी गई है:

क्रम संख्या	**विवरण**	**अनुबंध III**
1	सीआई द्वारा व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से ऐसी जानकारी एकत्र की जानी है जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले अथवा प्राप्त किए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000/- रुपये से अधिक है।	सारणी 1
2	सीआई द्वारा व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले अथवा प्राप्त किए जाने वाले ऋण की कुल राशि 30,000 रुपये तक है।	सारणी 2
3	सीआई द्वारा सीआईसी को रिपोर्ट किए जाने वाले सभी व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी [एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग (एमएफआई) प्रारूप के अंतर्गत शामिल]	सारणी 3

(3) डेटा सारणी अनुबंध III में दी गई हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, एक सीआई तालिका 1 और 2 में सभी एसएचजी सदस्यों से जानकारी एकत्र करेगा और तालिका 3 में निर्धारित सीआईसी को इसकी रिपोर्ट करेगा। तालिका 3 में उल्लिखित एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा को सीआईसी को रिपोर्ट करने के लिए अनुबंध I के फॉर्म 3: यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप (एमएफआई) में शामिल किया जाएगा। सारणियों को निम्नलिखित विचारों के आधार पर डिजाइन किया गया है:

(i) कुछ जानकारी (सारणी 1 और 2 की मद संख्या 17) एसएचजी सदस्यों के मौजूदा एक्सपोजर से संबंधित है, जिसमें एसएचजी समूह भी शामिल हैं, जिनके साथ वे पहले जुड़े हो सकते हैं। इसका उद्देश्य सीआई को एसएचजी सदस्यों के संबंध में सूचित ऋण निर्णय लेने में मदद करना है। यह जानकारी सीआई द्वारा एसएचजी सदस्यों द्वारा प्रदान की गई प्रमुख जानकारी के आधार पर सीधे सीआईसी से एकत्र की जा सकती है। इसलिए, तालिका 3 के अनुसार सीआईसी को रिपोर्ट किए गए डेटासेट में इस जानकारी को शामिल करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

(ii) एसएचजी सदस्यों के संबंध में ऋण जानकारी का संग्रह और रिपोर्टिंग उन एसएचजी के सदस्यों तक ही सीमित होगी जो 1,00,000/- रुपये से अधिक का ऋण लेते हैं। हालांकि, सभी एसएचजी के सदस्य, समूह ऋण की राशि की परवाह किए बिना, उस समय एसएचजी समूह के माध्यम से सीआई को गैर-क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट करेंगे जब एसएचजी ऋण के लिए सीआई से संपर्क करेगा।

(iii) गैर-ऋण सूचना आवश्यकताओं को व्यक्तिगत उधारकर्ताओं की पहचान करने और बैंकों, विनियामक और सरकारी विकास एजेंसियों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, ताकि एसएचजी सदस्यों के विभिन्न उप-खंडों को ऋण के प्रवाह का मूल्यांकन किया जा सके और उप-खंडों के सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त ऋण प्रवेश रणनीतियों को डिजाइन किया जा सके। सीआई द्वारा सीआईसी को इस तरह से सूचना दी जाएगी जिससे सीआईसी को किसी विशेष एसएचजी से जुड़े सभी सदस्यों की पहचान करने की अनुमति मिलती है और एक विशेष व्यक्ति की पहचान उन सभी एसएचजी के साथ की जा सकती है, जिनके साथ वह जुड़ा हुआ है।

(4) एक सीआई आवश्यक प्रणालियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करेगा, जिसमें एसएचजी सदस्यों से प्रासंगिक जानकारी के संग्रह के लिए अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करना और सीआईसी को आवश्यक जानकारी की रिपोर्ट करना शामिल है।

(i) एक सीआई के पास एसएचजी सदस्य स्तर के डेटा को स्वयं अथवा अन्य संस्थाओं को आउटसोर्स करके एकत्र करने और रिपोर्ट करने का विकल्प होगा। हालांकि, यह भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - आउटसोर्सिंग में जोखिम प्रबंधन) निदेश, 2025 में निर्धारित आउटसोर्सिंग पर सभी सामान्य निदेशों का पालन करेगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है, लागू सीमा तक और आउटसोर्स एजेंसियों द्वारा सीआईसी को प्रस्तुत किए गए डेटा की शुद्धता के लिए जिम्मेदार बना रहेगा। एक सीआई को उन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण रखना चाहिए जिनके लिए इसे आउटसोर्स किया गया है।

(ii) एक सीआई निरंतर आधार पर एसएचजी खंड में एनपीए स्तरों की निगरानी करेगा और 20,000 रुपये की निचली सीमा से अधिक ऋण प्राप्त करने वाले एसएचजी सदस्यों से विस्तृत

जानकारी एकत्र करेगा, यदि एसएचजी खंड में सकल एनपीए 10 प्रतिशत से अधिक है अथवा सीआई के सकल एनपीए से 5 प्रतिशत अंक अधिक है।

(iii) सीआई द्वारा अनुदेशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप गैर-अनुपालन वाले एसएचजी ऋण खातों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्यों के अनुपालन के उद्देश्य से गणना किए जाने के पात्र ऋण पोर्टफोलियो से बाहर रखा जाएगा।

(5) **अन्य परिचालन निदेश**

(i) इस स्तर पर, यह परिकल्पना की गई है कि केवल सीआई से एसएचजी सदस्यों द्वारा प्राप्त ऋण सुविधाओं का ब्यौरा प्राप्त किया जाए। इसलिए, एसएचजी सदस्यों के बीच उनकी अपनी बचत से अंतर-ऋण देने से संबंधित किसी भी सूचना को कवर नहीं किया जाएगा। तथापि, किसी स्व-सहायता समूह सदस्य की समग्र ऋणग्रस्तता को जानने के लिए अंतर-ऋण के संबंध में भी स्वयं सहायता समूहों के प्रति उनके ऋणग्रस्तता को जानना आवश्यक हो सकता है। एसएचजी सदस्य की सूचना की गुणवत्ता में सुधार करने के निरंतर प्रयास के हिस्से के रूप में, अंतर-ऋण प्राप्त करने की आवश्यकता की उचित समय पर समीक्षा की जाएगी।

(ii) सीआई द्वारा एसएचजी को दी गई राशि में से एसएचजी सदस्यों द्वारा लिए गए व्यक्तिगत ऋणों के निष्पादन की निगरानी और रिपोर्ट करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों को देखते हुए, इन ऋणों की अदायगी और वसूली की निगरानी के लिए क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रणाली का विस्तार करने की परिकल्पना नहीं की गई है। हालांकि, इस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा।

(iii) अनुच्छेद 13 में निर्दिष्ट डेटा आवश्यकताओं में से किसी को भी स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने के लिए पूर्व शर्त नहीं बनाया जाना चाहिए, हालांकि सीआई को इन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए ईमानदारी से प्रयास करने चाहिए।

(iv) एक सीआई स्वयं सहायता समूहों को अपने सदस्यों को दिए गए ऋणों का लिखित रिकॉर्ड रखने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, जिसमें नाबार्ड की स्वयं सहायता समूहों के लिए डिजिटलीकरण योजना भी शामिल है, जहां लागू हो, और इस संबंध में उचित प्रोत्साहन शुरू करने पर विचार कर सकता है।

(v) एक सीआई एसएचजी/एसएचजी के सदस्यों से ऋण सुविधाओं के लिए आवेदनों से निपटने के लिए उपयुक्त नीतियां विकसित करेगा, जिन पर सीआईसी द्वारा चूक की सूचना दी जाती है। इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है कि एसएचजी/व्यक्तिगत सदस्यों को केवल इस तरह की चूक के कारण ऋण से वंचित न किया जाए और सीआई को स्वयं सदस्यों के क्रेडिट इतिहास का उचित मूल्यांकन करना चाहिए और उनकी गतिविधियों की आर्थिक व्यवहार्यता और उनके ऋण आवेदनों पर विचार करके लिए जाने वाले प्रस्तावित ऋण को पूरा करने की समूहों की क्षमता को ध्यान में रखना चाहिए।

(vi) व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से संबंधित ऋण जानकारी को सीसीआरए के प्रावधानों और ऋण सूचना रिपोर्टिंग पर आरबीआई के मौजूदा निदेशों के अनुसार एकत्र, रिपोर्ट और प्रसारित किया जाएगा।

14. लाइसेंस रद्द होने के बाद रिपोर्टिंग तंत्र

(1) आरबीआई द्वारा स्वैच्छिक प्रस्तुति या पर्यवेक्षी कार्रवाई के माध्यम से किसी सीआई के पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीओआर) को रद्द करने की स्थिति में, सीआईसी को सीआई के उधारकर्ताओं के अभिलेखों में एक उपयुक्त अस्वीकरण दर्ज करना होगा ताकि उनके सीआईआर में सीआई के बंद होने के कारण अभिलेख की अद्यतनता को दर्शाया जा सके।

(2) जिन सीआई के क्रेडिट रिकॉर्ड रद्द कर दिए गए हैं, उनके उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी को अपडेट करने में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए, सीआईसी और सीआई को क्रेडिट रिकॉर्ड रद्द होने के बाद निम्नलिखित क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग तंत्र लागू करना होगा।

(i) आरबीआई द्वारा जिनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, उन्हें सीआईसीआरए की धारा 2(एफ)(vii) के तहत ' क्रेडिट संस्था ' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

(ii) ऐसा सीआई सभी चार सीआईसी को लाइसेंस रद्द करने से पहले ऑन-बोर्ड और रिपोर्ट किए गए उधारकर्ताओं की क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट करना जारी रखेगा, जब तक कि ऋण जीवनचक्र पूरा नहीं हो जाता है अथवा क्रेडिट संस्थान बंद नहीं हो जाता, जो भी पहले हो।

(iii) ऐसे सीआई केवल उन उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट सूचना रिपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे जिन्हें उनके लाइसेंस रद्द होने से पहले सीआईसी में ऑनबोर्ड और रिपोर्ट किया गया था।

(iv) सीआईसी ऐसे सीआई से वार्षिक और सदस्यता शुल्क नहीं वसूलेंगे।

(v) ये निदेश उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जिनका लाइसेंस इन अनुदेशों को जारी करने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रद्द कर दिया गया है।

(vi) सीआई द्वारा सीआईसी को क्रेडिट सूचना रिपोर्ट करने के संबंध में अन्य सभी अनुदेश अपरिवर्तित रहेंगे

डी. अस्वीकृत डेटा का सुधार और डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की समीक्षा

15. [3]सीआईसी सीआईसी द्वारा साझा किए गए अस्वीकृत डेटा को सुधारेगा और ऐसी अस्वीकृति रिपोर्ट प्राप्त होने के सात दिनों के भीतर इसे फिर से जमा करेगा।

16. सीआईसी सीआईसी द्वारा सीआईसी को डेटा सबमिशन की गुणवत्ता का आकलन करने और समय के साथ इसमें सुधार करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (क्रेडिट सूचना कंपनियां) निदेश, 2025 में प्रदान किए गए उपभोक्ता, वाणिज्यिक और माइक्रोफाइनेंस खंडों के लिए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) तैयार और प्रदान करेंगे।

17. प्रत्येक सीआई को सभी खंडों के लिए डीक्यूआई की अर्ध-वार्षिक समीक्षा करनी होगी। पहचानी गई समस्याओं और उठाए गए सुधारात्मक कदमों से युक्त एक रिपोर्ट प्रत्येक सीआई द्वारा उस अर्ध-वर्ष के समाप्त होने के दो महीने के भीतर अपने शीर्ष प्रबंधन के पास समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

ई. क्रेडिट सूचना रिपोर्ट का सुधार

18. सीआई को सीआईसीआरए और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों में निर्धारित समयसीमा का पालन करना होगा, विशेष रूप से क्रेडिट सूचना के अद्यतन, परिवर्तन और विवादों के समाधान के संबंध में। इसके लिए सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 और 21 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन अनिवार्य है। निर्धारित समय सीमा से किसी भी विचलन की निगरानी की जाएगी और ग्राहक सेवा पर बोर्ड/बोर्ड समिति के समक्ष रखी जाने वाली आवधिक रिपोर्टों/समीक्षाओं में इस पर टिप्पणी की जाएगी।

[3] 01 जुलाई 2026 से प्रतिस्थापित।

19. सीआई के पास सीआईआर में डेटा के सुधार के लिए ग्राहक से अनुरोध प्राप्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए।उच्च डेटा गुणवत्ता बनाए रखने के लिए, सभी त्रुटिपूर्ण डेटा का सुधार उसी सीआई द्वारा स्रोत पर किया जाएगा जिसने मूल रूप से डेटा जमा किया था।

एफ. ऋण मूल्यांकन में क्रेडिट सूचना रिपोर्टों का उपयोग

20. सीआई अपनी ऋण नीतियों/ऋण मूल्यांकन प्रक्रियाओं में, एक अथवा एक से अधिक सीआईसी से सीआईआर प्राप्त करने के लिए उपयुक्त प्रावधान शामिल करेगा ताकि ऋण निर्णय प्रणाली में उपलब्ध क्रेडिट जानकारी पर आधारित हों।

जी. सूचना का प्रदर्शन

21. प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन-सरफेसी अधिनियम, 2002 के अनुसार, एक सीआई अपनी वेबसाइट पर उन उधारकर्ताओं से संबंधित जानकारी प्रदर्शित करेगा जिनकी प्रतिभूतिकृत परिसंपत्तियों को सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत प्रतिभूतिकृत ऋणदाता द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया है, जैसा कि अनुलग्नक IV में दिए गए प्रारूप में है। इस जानकारी वाली सूची को मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा।

(1) इस संबंध में निम्नलिखित स्पष्टीकरणों पर सीआई द्वारा ध्यान देने की आवश्यकता है:

(i) 25 सितंबर, 2023 को अथवा उसके बाद सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सीआई के पास सुरक्षित संपत्ति का खुलासा इसकी वेबसाइट पर किया जाना चाहिए।

(ii) सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत स्वामित्व वाली और पहले से ही बेची गई आस्तियों को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) सीआई के पास मौजूद सुरक्षित संपत्ति को निम्नलिखित परिस्थितियों की स्थिति में वेबसाइट से हटा दिया जाएगा:

(a) जब सुरक्षित संपत्ति बेची जाती है; अथवा

(b) जब सुरक्षित लेनदार बकाया राशि प्राप्त करता है (जिसमें मूलधन, ब्याज और उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित लेनदार को देय कोई अन्य बकाया शामिल है) अथवा उधारकर्ता से सहमत निपटान राशि के भुगतान के बाद।

(iv) सरफेसी अधिनियम, 2002 कब्जे को प्रतीकात्मक अथवा भौतिक के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। तदनुसार, एक सीआई सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत सुरक्षित संपत्ति के बारे में जानकारी प्रदर्शित करेगा। इसमें वेबसाइट पर प्रतीकात्मक और भौतिक रूप से स्वामित्व वाली दोनों संपत्तियों का प्रदर्शन शामिल है।

(v) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत चल और अचल दोनों सुरक्षित संपत्तियां, जिस पर चल संपत्ति के मामले में सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 (1) अथवा नियम 6 (2) के संदर्भ में समाचार पत्रों में पहले से ही सूचना प्रकाशित हो चुकी है, और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8 (2) पूर्वोक्त, सीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।

(vi) सीआई की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाने वाली 'बकाया राशि' सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (9) (बी) के अंतर्गत प्रदान की गई परिभाषा के अनुसार होगी, अर्थात इसमें मूलधन, ब्याज और सुरक्षित लेनदार के खाते की पुस्तकों के अनुसार सुरक्षित संपत्ति के संबंध में उधारकर्ता द्वारा सुरक्षित लेनदार को देय कोई अन्य बकाया शामिल होगा।

(vii) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 (4) के अंतर्गत सुरक्षित आस्तियों की 'बकाया शेष', 'आस्ति वर्गीकरण' और 'आस्ति वर्गीकरण की तारीख', चल संपत्ति के मामले में सुरक्षा (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 (1) अथवा नियम 6 (2) के संदर्भ में समाचार पत्रों में प्रकाशित जानकारी के अनुसार होगी। और अचल संपत्ति के मामले में नियम 8 (2)।

(viii) अनुबंध IV का 'राज्य' कॉलम शाखा से मेल खाता है, क्योंकि उधारकर्ता का पता कॉलम स्वाभाविक रूप से उस राज्य को कैप्चर करता है जिससे उधारकर्ता संबंधित है।

(ix) अनुबंध IV के 'गारंटर नाम (जहां भी लागू हो)' कॉलम में विवरण उन गारंटरों तक सीमित होना चाहिए जिन्होंने सीआई के पक्ष में सुरक्षा हित पैदा किया है और जिनकी संपत्ति अधिनियम के अंतर्गत है।

(x) ऊपर उल्लिखित मासिक अपडेट विशेष रूप से सीआई के पास मौजूद नई सुरक्षित संपत्तियों को शामिल करने और सीआई द्वारा बेची गई अथवा हल की गई सुरक्षित संपत्तियों को हटाने से संबंधित हैं।

(xi) जबकि कंसोर्टियम समझौते के अनुसार प्रमुख ऋणदाता सरफेसी की कार्यवाही शुरू कर सकता है, सभी कंसोर्टियम सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से अपनी वेबसाइट पर कब्जे में

ली गई संपत्ति का विवरण प्रदर्शित करना आवश्यक है, जिसमें बकाया राशि और पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले परिसंघ समझौते के अनुसार अन्य विवरण शामिल हैं।

एच. विनियमन विभाग द्वारा जारी किए गए अन्य निदेशों की प्रयोज्यता

22. एक सीआई निम्नलिखित निदेशों/परिपत्रों में निर्धारित क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग पर लागू निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा:

(1) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट कार्ड: जारी करना और परिचालन) निदेश, 2025

(2) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन) निदेश, 2025, समय-समय पर संशोधित

(3) भारतीय रिज़र्व बैंक (स्टैंडअलोन प्राइमरी डीलर्स) निदेश, 2025

(4) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पंजीकरण, छूट और स्केल आधारित विनियमन के लिए ढांचा) दिशानिर्देश, 2025

(5) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म) निदेश, 2025

(6) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट सुविधाएं) निदेश, 2025

(7) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025

(8) भारतीय रिज़र्व बैंक (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां - वित्तीय सेवाओं का उपक्रम) निदेश, 2025

अध्याय IV – तकनीकी कार्य-समूह

ए. तकनीकी कार्य- समूह के संबंध में अनुदेश

23. डेटा प्रारूपों की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर उनमें परिवर्तन करने के लिए एक तकनीकी कार्य- समूह (टीडब्ल्यूजी) का गठन किया जाएगा। टीडब्ल्यूजी के निम्नलिखित कार्य होंगे:

(1) डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों की कम से कम वार्षिक रूप से एक बार समीक्षा करना और इस संबंध में रिज़र्व बैंक को सुझाव (यदि कोई हों) देना।

(2) सभी डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों, जैसे उपभोक्ता, वाणिज्यिक, सूक्ष्म वित्त (एमएफआई) खंडों के लिए डेटा फ़ील्ड पर नियम तैयार करना। समूह द्वारा अंतिम रूप दिए जाने के बाद डेटा प्रारूपों को अनुमोदन के लिए आरबीआई को प्रस्तुत किया जाएगा।

(3) क्रेडिट सूचना के संग्रहण और प्रसार से संबंधित कोई अन्य मामला, जैसा कि रिज़र्व बैंक समय-समय पर सौंप सकता है।

24. टीडब्ल्यूजी में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी), अखिल भारतीय अधिसूचित वित्तीय संस्थानों (एआईएफआई), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी), आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी), भारतीय बैंक संघ (आईबीए), माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क (एमएफआईएन), सा-धन और सीआईसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

25. टीडब्ल्यूजी की बैठकें एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएंगी। चार सीआईसी नाम के वर्णमाला क्रम में रोटेशन (प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए) द्वारा TWG के संयोजक के रूप में कार्य करेंगे।

बी. टीडब्ल्यूजी का स्थायी उप-समिति

26. क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के तकनीकी पहलुओं पर विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि प्रदान करने और सुझाव देने के लिए टीडब्ल्यूजी के एक स्थायी उप-समिति का गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के संबंध में सीआई और सीआईसी के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में गहन चर्चा का समर्थन करना है। इसमें डेटा रिपोर्टिंग प्रारूपों में आवश्यक संशोधन सहित आईटी

सिस्टम में बदलाव, शामिल हैं। यह उप-समिति क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करने हेतु व्यापक टीडब्ल्यूजी का समर्थन करेगी।

27. टीडब्ल्यूजी के उप- समिति में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों, लघु वित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, शहरी सहकारी बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों, स्व-विनियमन संगठनों (एसआरओ), जैसे एमएफआईएन और सा-धन और सभी सीआईसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

28. उप-समिति के सदस्यों का चयन रिज़र्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से संयोजक द्वारा किया जाएगा। चर्चाओं की समग्र विशेषज्ञता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए, उप-समूह के सदस्य अपनी बैठकों के लिए विषय विशेषज्ञों को नामित करेंगे।

29. क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग के मुद्दों पर चर्चा करने और संभावित समाधान खोजने के लिए टीडब्ल्यूजी की उप-समिति की बैठकें कम से कम अर्ध-वार्षिक रूप से आयोजित की जाएंगी।

30. प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने के लिए, जिस सीआईसी को किसी विशेष वर्ष के लिए टीडब्ल्यूजी का संयोजक बनाया गया है, वह उसी कैलेंडर वर्ष में उप-समिति के संयोजक के रूप में भी कार्य करेगा।

31. उचित तैयारी और सूचित चर्चा सुनिश्चित करने के लिए, संयोजक को निर्धारित बैठक से कम से कम पंद्रह (15) दिन पहले बैठक की कार्यसूची और टिप्पणियां भेजनी होंगी। यदि सदस्य चर्चा के लिए कोई नया मुद्दा या मद पेश करना चाहते हैं, तो उन्हें चर्चा के बिंदुओं और प्रस्तावित समाधानों को रेखांकित करते हुए एक नोट संयोजक को भेजना चाहिए।

32. उप-समिति की चर्चाओं से निकलने वाले कार्य बिंदुओं में सीआईसी और सीआई द्वारा उनके कार्यान्वयन के लिए आवश्यक विशिष्ट समय-सीमा शामिल होनी चाहिए।

33. टीडब्ल्यूजी की उप-समिति के सुझावों को विचार के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के केंद्रीय कार्यालय स्थित विनियमन विभाग को अग्रेषित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो आरबीआई इन सुझावों पर टीडब्ल्यूजी की राय ले सकता है।

अध्याय V - ग्राहक सेवा और शिकायत निवारण

A. ग्राहक सेवा का सुदृढ़ीकरण

34. सीआई द्वारा प्रदान की जाने वाली शिकायत निवारण तंत्र और ग्राहक सेवा को मजबूत बनाने के लिए सीआई को निम्नलिखित उपाय करने होंगे:

(1) **सीआईसी में क्रेडिट सूचना अद्यतन करना**

(i) जहां मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी का विवरण उपलब्ध हो, वहां सीआई को मौजूदा ऋण सुविधाओं में चूक या अतिदेय बकाया दिनों की सूचना सीआईसी को भेजते समय ग्राहकों को एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजना होगा।

(ii) एसएमएस/ईमेल के माध्यम से अलर्ट भेजने में सक्षम बनाने के लिए, सीआईसी द्वारा सीआईसी को क्रेडिट जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट को संशोधित किया गया है, जैसा कि अनुबंध V में दिया गया है।

(iii) सीआई को अपने ग्राहकों को उनके मोबाइल नंबर/ईमेल आईडी जमा करने के लाभों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान आयोजित करने होंगे।

(2) नोडल अधिकारी/ बिंदु की स्थापना

(i) समर्पित संपर्क: सीआई के पास सीआईसी के साथ ग्राहक शिकायतों के निवारण के लिए एक समर्पित नोडल बिंदु/अधिकारी होना चाहिए। नोडल अधिकारी/बिंदु का विवरण (ईमेल आईडी और टेलीफोन/मोबाइल नंबर सहित) सीआई द्वारा सीआईसी को प्रदान किया जाएगा।

(ii) यदि नोडल अधिकारी/बिंदु में कोई परिवर्तन होता है, तो सीआई को ऐसे परिवर्तन की तारीख से पांच कैलेंडर दिनों के भीतर सीआईसी को सूचित करना होगा।

(3) **डेटा सुधार के अनुरोधों की अस्वीकृति के कारण**

(i) सीआई को ग्राहकों को उनके डेटा सुधार अनुरोधों की अस्वीकृति के कारण बताने होंगे, यदि कोई हो, ताकि ग्राहक सीआईआर में मौजूद मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकें।

(ii) शिकायत निवारण प्रक्रिया के दौरान ग्राहकों/सीआईसी द्वारा किए गए डेटा सुधार के अनुरोध की अस्वीकृति का संचार करते समय, सीआई को सीआईसी द्वारा परिचालित अस्वीकृति के कारणों की सूची का ही उपयोग करना होगा।

(4) शिकायतों के मूल कारण का विश्लेषण

(i) सीआई को कम से कम अर्ध-वार्षिक रूप से ग्राहक शिकायतों का मूल कारण विश्लेषण (आरसीए) करना होगा। आरसीए करने के लिए सीआई को, अन्य बातों के अलावा, सीआईसी द्वारा अस्वीकृत डेटा और सीआईसी द्वारा प्रदान किए गए डेटा गुणवत्ता सूचकांक (डीक्यूआई) की जानकारी का स्रोत के रूप में उपयोग करना चाहिए।

(ii) आरसीए की समीक्षा कम से कम वार्षिक आधार पर शीर्ष प्रबंधन द्वारा की जाएगी।

B. ग्राहकों के लिए क्षतिपूर्ति का ढांचा

35. क्रेडिट सूचना अद्यतनीकरण/सुधार करने में देरी के लिए क्रेडिट संस्था (सीआई) निम्नलिखित क्षतिपूर्ति तंत्र लागू करेगी:

(1) यदि शिकायतकर्ता की शिकायत का समाधान सीआई या सीआईसी के साथ शिकायत दर्ज करने की प्रारंभिक तिथि से तीस कैलेंडर दिनों की अवधि के भीतर नहीं होता है, तो वे प्रति कैलेंडर दिन ₹100 के मुआवजे के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण:

(i) सीआईसीआरए, 2005 की धारा 21 (3) में प्रावधान है कि कोई शिकायतकर्ता सीआईसी अथवा सीआई से उचित सुधार, जोड़ अथवा अन्यथा क्रेडिट जानकारी को अद्यतन करने का अनुरोध कर सकता है, और ऐसे अनुरोध पर सीआई अथवा सीआईसी ऐसा करने के अनुरोध के बाद 30 दिनों के भीतर क्रेडिट जानकारी को अद्यतन करने के लिए कदम उठाएगा।

(ii) सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 (3) (सी) में प्रावधान है कि सीआई क्रेडिट जानकारी के सही विवरण को सीआईसी अथवा शिकायतकर्ता को उस तारीख से 21 दिनों की अवधि के भीतर अग्रेषित करेगा जब सीआई को क्रेडिट जानकारी में अशुद्धि के बारे में सूचित किया गया था।

(iii) सीआईसीआरए, 2005 की धारा 21(3) और सीआईसी नियम, 2006 के नियम 20 (3)

(सी) को संयुक्त रूप से पढ़ने से सीआईसीआरए और सीआईसी को सामूहिक रूप से शिकायत के समाधान/निपटान के लिए तीस (30) दिनों की समग्र सीमा प्रदान की गई है। वास्तव में, इसका मतलब यह होगा कि एक सीआई को 21 दिन मिलेंगे और सीआईसी को शिकायत के पूर्ण समाधान के लिए प्रभावी रूप से शेष नौ दिन मिलेंगे।

(2) यदि सीआई शिकायतकर्ता या सीआईसी द्वारा सूचित किए जाने के 21 कैलेंडर दिनों के भीतर उचित सुधार या जोड़ करके अद्यतन क्रेडिट सूचना सीआईसी को भेजने में विफल रहता है, तो सीआई को शिकायतकर्ता को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।

(3) सीआई या सीआईसी को सभी मामलों में, जिन मामलों में शिकायत को अस्वीकार कर दिया गया हो, सहित शिकायत पर की गई कार्यवाही के बारे में शिकायतकर्ता को सूचित करना होगा। अस्वीकृति के मामलों में, सीआई और सीआईसी को अस्वीकृति के कारण भी प्रदान करने होंगे।

(4) शिकायत दर्ज करने के 30 कैलेंडर दिनों से अधिक की देरी के लिए सीआईसी/सीआई द्वारा शिकायतकर्ता को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति को संबंधित सीआई और सीआईसी के मध्य आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।

उदाहरण:

(i) शिकायतकर्ता द्वारा सीआईसी में पंजीकृत शिकायतें

सीआई के पास अधिकतम 21 दिनों का समय होता है और सीआईसी के पास इसके समाधान के लिए शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों की कुल समय अवधि के भीतर शेष अवधि होती है। सीआईसी/सीआई द्वारा देय मुआवजे की गणना विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत की जाएगी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

मामला 1

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी के पास शिकायत दर्ज की गई।
- सीआईसी 12 जनवरी 2022 को सीआई (जैसे बैंक ए के लिए) से पुष्टि चाहता है।
- बैंक ए 2 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है (21 वां दिन 2 फरवरी 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं।
- सीआईसी 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर का समाधान करता है और प्रदान करता है।

- सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से तीन (3) दिनों की देरी के लिए ₹300/- का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मामला 2

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी के पास शिकायत दर्ज की गई।
- सीआईसी 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि चाहता है।
- बैंक ए 26 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है (यानी 21 दिनों के भीतर) - बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं।
- सीआईसी 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर का समाधान करता है और प्रदान करता है।
- सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से तीन (3) दिनों की देरी के लिए ₹300/- का मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

मामला 3

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी के पास शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि चाहता है।
- बैंक ए 28 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टिकरण प्रदान करता है (21 वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा 2 दिन की देरी
- यदि सीआईसी 2 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को हल करता है और सुधारा हुआ सीआईआर प्रदान करता है - बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि से परे दो (2) दिनों की देरी के लिए ₹200/- का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक)।
- यदि सीआईसी 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को हल करता है और सुधारित सीआईआर प्रदान करता है - शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से अधिक तीन (3) दिनों की देरी के लिए ₹300/- (बैंक ए द्वारा ₹200/- और सीआईसी द्वारा ₹100/- का कुल मुआवजा प्रदान किया जाएगा)।

मामला 4

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी के पास शिकायत दर्ज की गई
- CIC 5 जनवरी 2022 को बैंक A, बैंक B, बैंक C, बैंक D, बैंक E से पुष्टि मांगता है – यानी CIC को पुष्टि मांगने में 4 दिन लगे हैं।
- बैंक ए, बी, सी, डी और ई के लिए – (21वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा)
- यदि बैंक ए 26 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टिकरण प्रदान करता है - कोई देरी नहीं
- यदि बैंक B 31 जनवरी 2022 को CIC को पुष्टिकरण प्रदान करता है – 5 दिन की देरी
- यदि बैंक सी 2 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टिकरण प्रदान करता है - 7 दिन की देरी
- यदि बैंक डी 4 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है - 9 दिन की देरी
- यदि बैंक ई 6 फरवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टिकरण प्रदान करता है - 11 दिन की देरी

32 दिन

- इसलिए, शिकायत के समाधान में कुल विलंब इस प्रकार है:
- यदि सीआईसी 6 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और प्रदान करता है - शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि से परे 6 दिनों की देरी के लिए भारित औसत आधार पर ₹600 का कुल मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक):

स्पष्टीकरण: छह दिनों के विलंब का विभाजन प्रत्येक क्रेडिट सूचना सीआई या क्रेडिट सूचनासीआईसी द्वारा किए गए विलंब की सीमा के भारित औसत के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त मामले में, कुल विलंब 6 दिन है और इसलिए शिकायतकर्ता कुल ₹600 के मुआवजे का हकदार होगा। इसे सभी चूककर्ता बैंकों (इस मामले में बैंक बी, सी, डी और ई) के मध्य विभाजित किया जाना आवश्यक है। संपूर्ण रूप से, सभी चूककर्ता बैंकों द्वारा किए गए विलंब को जोड़ने पर कुल 32 दिन (5+7+9+11 दिन) होता है। अतः, ₹600 की मुआवजा राशि को इस मामले में 32 दिनों के कुल विलंब के सापेक्ष प्रत्येक सीआई द्वारा किए गए विलंब के भारित औसत पर विभाजित किया जाएगा:

- बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
- बैंक बी = (5*600)/32 = ₹93.75

- बैंक सी= (7*600)/32 = ₹131.25
- बैंक डी = (9*600)/32 = ₹168.75
- बैंक ई = (11*600)/32 = ₹206.25
- सीआईसी = कोई मुआवजा नहीं

- यदि सीआईसी 11 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर का समाधान करता है और प्रदान करता है, तो सीआईसी द्वारा लिए गए कुल दिन 9 दिन (यानी 4+ 5 दिन) होंगे। शिकायतकर्ता को ₹1100 का कुल मुआवजा, भारित औसत आधार पर, निम्नानुसार 30 दिनों की अनुमेय अवधि से परे 11 दिनों की देरी के लिए प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक):

  - बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
  - बैंक बी = (5*1100)/32 = ₹171.88
  - बैंक सी = (7*1100)/32 = ₹240.62
  - बैंक डी = (9*1100)/32 = ₹309.38
  - बैंक ई = (11*1100)/32 = ₹378.12
  - सीआईसी = कोई मुआवजा नहीं (जैसा कि सीआईसी ने कुल 9 दिन लिए हैं)

- यदि सीआईसी 15 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को हल करता है और सुधारित सीआईआर प्रदान करता है। सीआईसी ने अंतिम सुधारित सीआईआर प्रदान करने में 13 दिन (यानी 4 दिन + 9 दिन) का समय लिया है। शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि से परे 15 दिनों की देरी के लिए भारित औसत आधार पर ₹1500 का कुल मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक):

  - बैंक ए = कोई मुआवजा नहीं
  - बैंक बी = (5*1500)/36 = ₹208.34
  - बैंक सी = (7*1500)/36 = ₹291.66
  - बैंक डी = (9*1500)/36 = ₹375.00

32 + 4 = 36 दिन

- बैंक ई = (11*1500)/36 = ₹458.34
- सीआईसी = (4*1500)/36 = ₹166.66

मामला 5

- 1 जनवरी 2022 को सीआईसी के पास शिकायत दर्ज की गई
- सीआईसी 5 जनवरी 2022 को बैंक ए से पुष्टि मांगता है
- बैंक ए 28 जनवरी 2022 को सीआईसी को पुष्टि प्रदान करता है (21 वां दिन 26 जनवरी 2022 होगा) - 2 दिन की देरी
- यदि, सीआईसी हल करता है और 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है (यानी।

शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया गया समाधान) - मुआवजे के लिए कोई मामला नहीं।

तथापि, सीआईसीआरए, 2005 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार सीआईसीआरए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथा उपयुक्त समझे जाने पर दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

(ii) शिकायतकर्ता द्वारा सीआई के पास दर्ज शिकायतें

मामला 6

- शिकायत 1 जनवरी 2022 को एक सीआई (उदाहरण के लिए, बैंक ए) के पास दर्ज की गई।
- बैंक ए 22 जनवरी 2022 को सीआईसी को संशोधित विवरण प्रदान करता है (21 वां दिन 22 जनवरी 2022 होगा) - बैंक ए द्वारा कोई देरी नहीं।
- यदि सीआईसी 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 31 जनवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - मुआवजे के लिए कोई मामला नहीं है।
- यदि सीआईसी 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को हल करता है और सुधारित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 1 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है

- 30 दिनों की अनुमेय अवधि से परे 1 दिन की देरी के लिए बैंक ए द्वारा ₹100 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी तक, 2022).

- यदि सीआईसी 1 फरवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 1 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - सीआईसी द्वारा शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि से 1 दिन की देरी के लिए ₹100 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी तक, 2022).

- यदि सीआईसी 1 फरवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 2 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि से अधिक 2 दिन की देरी के लिए ₹200 का कुल मुआवजा [सीआईसी द्वारा ₹100 और बैंक ए द्वारा ₹100] प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी तक, 2022).

नोट: जहां परिवाद/शिकायत में एक (1) से अधिक सीआई की गलत क्रेडिट जानकारी शामिल है, शिकायत ग्राहक द्वारा संबंधित सीआईसी के साथ दर्ज की जाएगी। सीआईसी सभी संबंधित सीआई के साथ समन्वय करेगा और ग्राहक को शिकायत का व्यापक समाधान प्रस्तुत करेगा।

मामला 7

- 1 जनवरी 2022 को सीआई (जैसे बैंक ए के लिए) के साथ दर्ज की गई शिकायत

- बैंक A 25 जनवरी 2022 को CIC को हल करता है और सुधारित विवरण प्रदान करता है (21 वां दिन 22 जनवरी 2022 होगा) - बैंक A द्वारा 3 दिन की देरी।

- यदि सीआईसी हल करता है और 31 जनवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 31 जनवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - मुआवजे के लिए कोई मामला नहीं।

- यदि सीआईसी 3 फरवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है (यानी सीआईसी को बैंक ए द्वारा सूचित किए जाने के बाद 9 दिन लगते हैं) और बैंक ए 3 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - 300 दिनों की अनुमेय अवधि से परे 3 दिनों की देरी के लिए बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को 30 रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी तक, 2022).

- यदि सीआईसी 3 फरवरी 2022 को बैंक ए को हल करता है और सुधारित सीआईआर प्रदान करता है और बैंक ए 4 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है - 30 दिनों की अनुमेय अवधि से अधिक 4 दिनों की देरी के लिए बैंक ए द्वारा शिकायतकर्ता को ₹400 का मुआवजा प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी तक, 2022).

- यदि सीआईसी हल करता है और 4 फरवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और प्रदान करता है और

बैंक A 4 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को सुधारित CIR प्रदान करता है - शिकायतकर्ता को ₹400 [CIC द्वारा ₹100 और बैंक A द्वारा ₹300] का कुल मुआवजा 30 दिनों की अनुमेय अवधि से अधिक 4 दिनों की देरी के लिए प्रदान किया जाएगा (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक)।

- यदि सीआईसी हल करता है और 4 फरवरी 2022 को बैंक ए को संशोधित सीआईआर प्रदान करता है और प्रदान करता है और

बैंक ए 5 फरवरी 2022 को शिकायतकर्ता को सुधारित CIR प्रदान करता है - शिकायतकर्ता को 30 दिनों की अनुमेय अवधि (यानी इस मामले में 31 जनवरी 2022 तक) से अधिक 5 दिनों की देरी के लिए ₹500 [CIC द्वारा ₹100 और बैंक A द्वारा ₹400] का कुल मुआवजा प्रदान किया जाएगा।

(5) जहां परिवाद/शिकायत में एक से अधिक सीआई द्वारा प्रदान की गई गलत क्रेडिट जानकारी शामिल है, शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित सीआईसी के साथ शिकायत दर्ज की जाएगी। सीआईसी सभी संबंधित सीआई के साथ समन्वय करेगा और शिकायतकर्ता को शिकायत का व्यापक समाधान प्रस्तुत करेगा।

(6) जहां सीआई द्वारा शिकायत प्राप्त और पंजीकृत की गई है और शिकायत के समाधान में देरी हुई है, सीआई अंतिम समाधान के बाद संबंधित सीआईसी और शिकायतकर्ता को कुल देरी (कैलेंडर दिनों में) और सीआई और/या सीआईसी (ओं) द्वारा भुगतान किए जाने वाले मुआवजे की राशि के बारे में सूचित करेगा।

(7) शिकायत के समाधान की तारीख वह तारीख होगी जब सीआईसी अथवा सीआईआर द्वारा शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किए गए डाक पते अथवा ईमेल आईडी पर संशोधित सीआईआर भेजा गया हो।

(8) एक सीआई अपने शिकायत प्रस्तुत करने के प्रारूप (ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों) में उचित प्रावधान करेगा ताकि शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि जमा करने के लिए संपर्क विवरण,

ईमेल आईडी और बैंक खाता विवरण/एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) आईडी जमा करने में सक्षम बनाया जा सके। सटीक विवरण प्रदान करने की जिम्मेदारी शिकायतकर्ता की होगी और शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान की गई किसी भी गलत जानकारी के लिए सीआई को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(9) मुआवजे की राशि शिकायतकर्ता के बैंक खाते में शिकायत के समाधान के पांच कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दी जाएगी।

(10) सीआई अथवा सीआईसी द्वारा मुआवजे से गलत तरीके से इनकार करने के मामले में शिकायतकर्ता रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, यथासमय यथासंशोधित के अंतर्गत आरबीआई लोकपाल से संपर्क कर सकता है।

(11) एक सीआई द्वारा मुआवजे से गलत तरीके से इनकार करने के मामले में, जिसे अभी तक रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, यथासमय यथासंशोधित के अंतर्गत कवर नहीं किया गया है, शिकायतकर्ता RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों (ROs) से काम करने वाले उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण प्रकोष्ठ (CEPC) से संपर्क कर सकता है।

(12) मुआवजे की रूपरेखा निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होगी:

(i) ऐसे विवाद जिनके लिए सीसीआरए, 2005 की धारा 18 के अंतर्गत उपचार प्रदान किया गया है। सीआईसीआरए, 2005 की धारा 18 में प्रावधान है कि ऋण सूचना के कारोबार से संबंधित मामलों पर सीआईसी, सीआई, उधारकर्ताओं और ग्राहकों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों के लिए और जिनके लिए सीसीआरए, 2005 के अंतर्गत कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है, ऐसे विवादों का निपटान मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 में किए गए प्रावधान के अनुसार सुलह अथवा मध्यस्थता द्वारा किया जाएगा।

(ii) (ए) आंतरिक प्रशासन, (बी) मानव संसाधन, (सी) कर्मचारियों के वेतन और परिलब्धियों, और (डी) सीआई के सुझावों और वाणिज्यिक निर्णयों की प्रकृति में संदर्भों से संबंधित शिकायतें/संदर्भ।

(iii) उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, न्यायालय, न्यायाधिकरण आदि जैसे अन्य मंचों पर निर्णय लिया जा चुका है अथवा जो पहले से ही लंबित हैं, ऐसी शिकायतें जो अन्य मंचों पर निर्णय ले चुकी हैं अथवा पहले से ही लंबित हैं।

C. रिज़र्व बैंक- एकीकृत ओम्बड्समैन योजना

36. रिज़र्व बैंक – एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (आरबीआईओएस), यथासमय यथासंशोधित, के अंतर्गत आने वाली सीआई को उक्त योजना के तहत प्रदान किए गए निदेशों का पालन करना होगा।

D. आंतरिक ओम्बड्समैन की नियुक्ति

37. आंतरिक ओम्बड्समैन ढांचे के अंतर्गत आने वाली सीआई को मास्टर निदेश – भारतीय रिज़र्व बैंक (आंतरिक ओम्बड्समैन) निदेश, 2023 दिनांक 29 दिसंबर 2023 (यथासमय यथासंशोधित) के तहत जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन करना होगा।

अध्याय VI - सर्वोत्तम प्रथाएं

38. सीआई को अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से सीआईसीआरए के तहत अपनी नीतियों और प्रक्रियाओं को तैयार करते समय या उनकी समीक्षा करते समय नीचे विस्तृत सर्वोत्तम प्रथाओं को ध्यान में रखना चाहिए:

(1) ऋण चुकौती जानकारी के अद्यतन न किए जाने की घटनाओं से बचा जा सकता है यदि 'अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) के जारी करने को केंद्रीकृत किया जाए और सीआईसी को जानकारी प्रदान की जाए।

(2) ग्राहक शिकायत निवारण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए, विशेष रूप से क्रेडिट जानकारी के अद्यतन/परिवर्तन से संबंधित शिकायतों के संबंध में।

(3) क्रेडिट जानकारी के संबंध में शिकायत निवारण को शिकायत निवारण की मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। क्रेडिट जानकारी से संबंधित ग्राहक शिकायतों के पहलू भी सीआई की ग्राहक सेवा नीति का अभिन्न अंग हो सकते हैं।

(4) सीआई को सीआईसी को पूर्ण ग्राहक जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, पहचानकर्ता जानकारी जैसे पैन संख्या, मतदाता पहचान पत्र संख्या आदि सभी रिकॉर्ड के लिए सीआई द्वारा प्रदान नहीं की जाती है।

(5) प्रथम बार ऋण लेने वालों के ऋण आवेदनों को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उनका कोई क्रेडिट इतिहास नहीं है।

(6) सीआई और सीआईसी से जुड़े न्यायालयिक मामलों को कम करने के उद्देश्य से, शिकायतों को तत्काल आधार पर संबोधित करने की आवश्यकता है। सीआई के पास शिकायत निवारण की एक संरचित प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें बोर्ड की उपभोक्ता संरक्षण समिति का गठन करना भी शामिल है।

अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और व्यावृत्ति

39. इन निदेशों के जारी होने के साथ, स्थानीय क्षेत्र के बैंकों के लिए ऋण सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि दिनांक 28 नवंबर, 2025 के परिपत्र डीओआर.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

40. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के अंतर्गत की गई अथवा की गई अथवा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा शासित होगी। इन निरस्त सूचियों के अंतर्गत दी गई सभी स्वीकृतियों अथवा स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा शासित माना जाएगा। इसके अलावा, इन निदेशों, निदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

    i. उसके अंतर्गत प्राप्त, अर्जित अथवा खर्च किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व अथवा दायित्व;

    ii. इसके अंतर्गत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा;

    iii. पूर्वोक्त के रूप में ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, दायित्व, दंड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में कोई जांच, कानूनी कार्यवाही, अथवा उपाय; और ऐसी कोई भी जांच, कानूनी कार्यवाही अथवा उपाय स्थापित, जारी अथवा लागू किया जा सकता है और ऐसा कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा लगाई जा सकती है जैसे कि उन निदेशों, निदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों के लागू होने पर रोक नहीं

41. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएँ

42. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा स्पष्टीकरण में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की स्पष्टीकरण अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(जे पी शर्मा)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध I

एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग प्रारूप

प्रपत्र 1: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट (उपभोक्ता)

सेगमेंट				**फ़ील्ड्स**			
हेडर	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर यूजर आईडी	हेडर	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर यूजर आईडी	हेडर	रिपोर्टिंग सदस्य / प्रोसेसर यूजर आईडी	हेडर	सदस्य डेटा
नाम		उपभोक्ता का नाम		**नाम**		उपभोक्ता का नाम	
परिचय	आईडी प्रकार	**परिचय**		आईडी प्रकार		**परिचय**	
टेलीफोन		टेलीफ़ोन का नंबर		**टेलीफोन**		टेलीफ़ोन का नंबर	
ईमेल				ई-मेल आईडी			
पता	उपभोक्ता का पता	**पता**		उपभोक्ता का पता	**पता**		उपभोक्ता का पता
खाता	वर्तमान/नया रिपोर्टिंग सदस्य कोड	**खाता**	वर्तमान/नया रिपोर्टिंग सदस्य कोड	**खाता**	वर्तमान/नया रिपोर्टिंग सदस्य कोड	**खाता**	अंतिम भुगतान की तिथि
बंद होने की तिथि	रिपोर्ट की गई और प्रमाणित तिथि	बंद होने की तिथि	रिपोर्ट की गई और प्रमाणित तिथि	बंद होने की तिथि	रिपोर्ट की गई और प्रमाणित तिथि	बंद होने की तिथि	
पुराने सदस्य का संक्षिप्त नाम	पुराना खाता नंबर	पुराने सदस्य का संक्षिप्त नाम	पुराना खाता नंबर	पुराने सदस्य का संक्षिप्त नाम	पुराना खाता नंबर	पुराने सदस्य का संक्षिप्त नाम	
संपार्श्विक का मूल्य	संपार्श्विक का प्रकार	संपार्श्विक का मूल्य	संपार्श्विक का प्रकार	संपार्श्विक का मूल्य	संपार्श्विक का प्रकार	संपार्श्विक का मूल्य	
बट्टे खाते में डाली गई राशि (कुल)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (मूलधन)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (कुल)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (मूलधन)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (कुल)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (मूलधन)	बट्टे खाते में डाली गई राशि (कुल)	

निवल/सकल आय संकेतक	मासिक/वार्षिक आय संकेतक

नोट: उपभोक्ता रिपोर्टिंग प्रारूप के रिपोर्टिंग फ़ील्ड दूसरों के बीच निम्नलिखित कैटलॉग मानों को शामिल करने के लिए:

फ़ील्ड का नाम	**टिप्पणियां**
खाते का प्रकार	आतिरिक्त कैटलॉग मानों का समावेश: • शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन • प्राथमिकता क्षेत्र – स्वर्ण ऋण • अस्थायी ओवरड्राफ्ट (खाते को सीआईसी द्वारा बंद माना जाना चाहिए जब सीआई द्वारा बाद के महीनों में इसकी सूचना नहीं दी जाती है। उक्त खाते में ऋण शेष की संख्या)
क्रेडिट सुविधा की स्थिति	आतिरिक्त कैटलॉग मानों का समावेश: • COVID-19 के कारण पुनर्गठित • पोस्ट राइट ऑफ बंद • पुनर्गठित और बंद • नीलाम और निपटान • पुनर्प्राप्त और व्यवस्थित • गारंटी लागू की गई
स्वामित्व संकेतक	आतिरिक्त कैटलॉग मान को शामिल करना: • मृतक
सपाश्विक का प्रकार	आतिरिक्त कैटलॉग मान का शामिल करना: • एकाधिक प्रतिभूतियां और अन्य
आईडी प्रकार	आतिरिक्त कैटलॉग मानों का समावेश: • नरेगा कार्ड नंबर • सीकेवाईसी
भुगतान आवृत्ति	आतिरिक्त कैटलॉग मानों का समावेश: • बुलेट भुगतान • दैनिक • अर्धवार्षिक • सालाना • मांग पर
पता श्रेणी	आतिरिक्त कैटलॉग मान को शामिल करना: बंधक संपत्ति का पता
उच्च क्रेडिट/स्वीकृत राशि	रिपोर्टिंग फ़ील्ड अनिवार्य होगा

प्रपत्र 2: एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट (वाणिज्यिक)

सेगमेंट	**फ़ील्ड्स**					
हैडर	सदस्य आईडी	पिछला सदस्य आईडी	इनपुट फाइल के निर्माण और प्रमाणन की तिथि	रिपोर्टिंग/चक्र तिथि	सूचना प्रकार	भरनेवाला
कर्ज़दार	सदस्य शाखा कोड	पिछले सदस्य शाखा कोड	उधारकर्ता का नाम	उधारकर्ता का संक्षिप्त नाम	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि
पैन (PAN)	सीआईएन	टिन	सेवा कर संख्या	उद्यम पंजीकरण संख्या	उधारकर्ता का कानूनी संविधान	व्यापार श्रेणी
व्यवसाय / उद्योग प्रकार	गतिविधि 1 की कक्षा	गतिविधि 2 की कक्षा	गतिविधि का वर्ग 3	एसआईसी कोड	बिक्री का आंकड़ा	वित्तीय वर्ष

कर्मचारियों की संख्या	क्रेडिट रेटिंग	मूल्यांकन एजेंसी /विशेषज्ञ	क्रेडिट रेटिंग	क्रेडिट रेटिंग समाप्ति तिथि	भरनेवाला

पता	उधारकर्ता कार्यालय स्थान प्रकार	उधारकर्ता कार्यालय डीयूएनएस संख्या	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/ कस्बा	जिला

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पिन कोड	भूक्षेत्र	मोबाइल नंबर	टेलीफोन क्षेत्र कोड	टेलीफोन नंबर	फैक्स क्षेत्र कोड
ई-मेल आईडी			भरनेवाला			

नाता	संबंध डीयूएनएस नंबर	संबंधित प्रकार	नाता	व्यावसायिक इकाई का नाम	व्यापार श्रेणी	व्यवसाय / उद्योग प्रकार	व्यक्तिगत नाम उपसर्ग

पूरा नाम	लिंग	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि	जन्म तिथि	पैन (PAN)	वोटर आईडी
पासपोर्ट नंबर	ड्राइविंग लाइसेंस आईडी	यूआईडी	राशन कार्ड नंबर	सीआईएन	DIN	टिन
सेवा कर संख्या	सीकेवाईसी	नियंत्रण	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/कस्बा

		का प्रतिशत				
जिला	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पिन कोड	भूक्षेत्र	मोबाइल नंबर	टेलीफोन नंबर	टेलीफोन क्षेत्र कोड
फैक्स नंबर		फैक्स क्षेत्र कोड		भरनेवाला		
सेगमेंट			**फ़ील्ड्स**			

ऋण सुविधा	खाता संख्या	पिछला खाता संख्या	सुविधा/ ऋण सक्रियण /स्वीकृति तिथि	अनुबंध की स्वीकृत राशि/अनुमानित राशि	मुद्रा कोड	क्रेडिट प्रकार	अनुबंधों की अवधि/भारित औसत परिपक्वता अवधि

चुकौती आवृत्ति	ड्राइंग पावर	वर्तमान शेष/सीमा का उपयोग/बाजार के लिए चिह्नित	आउटस्टैंडिंग पुनर्गठित अनुबंधों की अनुमानित राशि	ऋण समाप्ति/ परिपक्वता तिथि	ऋण नवीनीकरण तिथि	पूंजी वर्गीकरण/ पिछले देय दिन (डीपीडी)
आस्ति वर्गीकरण तिथि	अतिदेय राशि/सीमा अतिदेय	अतिदेय बकेट 01 (1 - 30 दिन)	अतिदेय बकेट 02 (31 - 60 दिन)	अतिदेय बकेट 03 (61 – 90 दिन)	अतिदेय बकेट 04 (91 - 180 दिन)	अतिदेय बकेट 05 (180 दिनों से ऊपर)
उच्च क्रेडिट	स्थापना राशि	अंतिम चुकाई गई राशि	खाते की स्थिति	खाता स्थिति तिथि	बट्टे खाते में डाली गई राशि	सेटलमेंट अमाउंट
पुनर्गठन के प्रमुख कारण[4]	एनपीए के रूप में वर्गीकृत अनुबंधों की राशि	आस्ति आधारित सुरक्षा कवरेज	गारंटी कवरेज	बैंक टिप्पणी कोड	इरादत न चूक स्थिति	दिनांक को इरादतन चूक के रूप में वर्गीकृत किया गया

[4] यह क्षेत्र यह समझने में मदद करेगा कि क्या उधारकर्ता के ऋण का पुनर्गठन बाहरी / बाहरी कारकों जैसे बाहरी वातावरण, अर्थव्यवस्था में सामान्य मंदी, आदि, अथवा कंपनी/उधारकर्ता विशिष्ट मुद्दों जैसे प्रबंधन में परिवर्तन, प्रमोटरों के प्रदर्शन आदि के कारण था।

मुकदमा दायर स्थिति	सूट संदर्भ संख्या	सूट की राशि रुपये	मुकदमे की तारीख	विवाद आईडी नंबर.		लेन-देन का प्रकार कोड	Other_BK
यूएफ़सीई (राशि)				यूएफ़सीई दिनांक			
प्रतिभू	गारंटर डीयूएनएस	गारंटर प्रकार	व्यापार श्रेणी	व्यवसाय / उद्योग प्रकार	गारंटर इकाई का नाम	वैयक्तिक नाम उपसर्ग	पूरा नाम
लिंग	कंपनी पंजीकरण संख्या	निगमन की तिथि	जन्म तिथि	पैन (PAN)		वोटर आईडी	पासपोर्ट नंबर
ड्राइविंग लाइसेंस आईडी	यूआईडी	राशन कार्ड नंबर	सीआईएन	डीआईएन		टिन	सेवा कर संख्या
अन्य आईडी	पता पंक्ति 1	पता पंक्ति 2	पता पंक्ति 3	शहर/कस्बा		जिला	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश
पिन कोड	भूक्षेत्र	मोबाइल नंबर	टेलीफोन क्षेत्र कोड	टेलीफोन नंबर		फैक्स क्षेत्र कोड	फैक्स नंबर
गारंटी आमंत्रण तिथि							

प्रतिभूति	सुरक्षा का मूल्य	मुद्रा प्रकार	सुरक्षा का प्रकार	सुरक्षा वर्गीकरण	मूल्यांकन की तिथि	भरनेवाला

चेक का अस्वीकृत होना	अस्वीकृति की तिथि	कुल धनराशि	इंस्ट्रूमेंट/ चेक नंबर	कितनी बार चेकों को अविकृत किया गया? चेकों की संख्या	चेक जारी करने की तिथि	अस्वीकृति का कारण	भरनेवाला

फ़ाइल बंद करना	उधारकर्ता खंडों की संख्या	ऋण सुविधा खंडों की संख्या	भरनेवाला

नोट: वाणिज्यिक रिपोर्टिंग प्रारूप के रिपोर्टिंग फ़ील्ड दूसरों के बीच निम्नलिखित कैटलॉग मानों को शामिल करने के लिए:

फ़ील्ड का नाम	**अतिरिक्त कैटलॉग मान**
खाते की स्थिति	अतिरिक्त कैटलॉग मान को शामिल करना: • पुनर्गठित और बंद
क्रेडिट प्रकार	अतिरिक्त कैटलॉग मानों का समावेश: • मुद्रा टर्म लोन • मुद्रा कार्यशील पूंजी • अस्थायी ओवरड्राफ्ट (जब उक्त खाते में जमा राशि को देखते हुए सीआईसी द्वारा बाद के महीनों में इसकी सूचना नहीं दी जाती है, तो सीआईसी द्वारा खाते को बंद माना जाना चाहिए)
प्रमुख कारण पुनर्गठन के लिए	अतिरिक्त कैटलॉग मान को शामिल करना: • COVID-19 के कारण पुनर्गठित
स्वीकृति तिथि	रिपोर्टिंग फ़ील्ड अनिवार्य होगी
स्थान प्रकार	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश • बंधक संपत्ति का पता
रिश्ता	अतिरिक्त कैटलॉग मान का समावेश • कार्ड (एचयूएफ)
आस्ति वर्गीकरण/पिछले देय दिन	कैटलॉग मानों को हटाना: • विशेष उल्लेख खाते • संशयी
उधारकर्ता का कानूनी संविधान	कैटलॉग मान को हटाना: • वर्गीकृत नहीं

फ़ील्ड का नाम	अतिरिक्त कैटलॉग मान
गतिविधि का वर्ग	बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न 1 और 2 के अनुसार रिपोर्ट की जाएगी

प्रपत्र 3: एमएफआई के लिए एकसमान क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट (एसएचजी सहित)

यह दस्तावेज़ सीआईसी को रिपोर्ट करने के लिए माइक्रोफाइनेंस डेटा के लिए फ़ाइल स्वरूप का विवरण प्रदान करता है। यह प्रारूप समूह, उपभोक्ता, खाता संरचना - एकाधिक समूह, कई उपभोक्ताओं के साथ प्रत्येक समूह और प्रत्येक उपभोक्ता यदि क्रेडिट लिया जाता है तो उसका एक खाता होता है। यह अनुशंसा की जाती है कि एसएचजी खातों और जेएलजी + व्यक्तिगत खातों के लिए सीआईसी के साथ एक अलग फ़ाइल साझा की जाए। व्यक्तियों के नाम पर सभी माइक्रोफाइनेंस उधार, उद्देश्य की परवाह किए बिना, इस प्रारूप में शामिल किया जाना चाहिए। डेटा में प्रासंगिक अवधि के दौरान सभी लाइव ऋण खाते, इस अवधि के दौरान बंद किए गए सभी खाते और इस अवधि के दौरान खोले गए सभी खाते शामिल होने चाहिए। डेटा साझाकरण की आवृत्ति के बावजूद, डेटा साझाकरण का प्रारूप समान रहता है।

ए. इनपुट फ़ाइल प्रारूप में खंड

निम्न तालिका उन विभिन्न खंडों का वर्णन करती है जो डेटा इनपुट फ़ाइल स्वरूप बनाते हैं

#	खंड	सेगमेंट टैग	विकल्प	आवृत्तियाँ	फील्ड सेपरेटर
1	हेडर	एचडीआर	आवश्यक	फ़ाइल के लिए एक बार होता है	निश्चित लंबाई पृथक्करण
2	समूह खंड	जीआरपीसीआरडी	आवश्यक	पोर्टफोलियो में मौजूद समूहों की संख्या के अनुसार यह कई बार घटित होता है (केवल स्वयं सहायता समूह (SHG) समूहों के लिए)।	अलग (¬ अथवा ~ अथवा पाइप '|')
3	सदस्य/उप भोक्ता खंड	सीएनएससीआरडी	आवश्यक	पोर्टफोलियो में जितने ग्राहक हैं, उतनी ही बार यह घटना घटित होती है। एक समूह के अंतर्गत कई सदस्य मौजूद होते हैं।	अलग (¬ अथवा ~ अथवा पाइप '|')
4	पता खंड	एडीआरसीआरडी	आवश्यक	प्रत्येक उपभोक्ता के लिए एक अथवा अधिक	अलग (¬ अथवा ~ अथवा पाइप '|')
5	खाता खंड	एसीटीसीआरडी	आवश्यक	प्रत्येक खाते के लिए एक अथवा अधिक	अलग (¬ अथवा ~ अथवा पाइप '|')
6	ट्रेलर	टीआरएल	आवश्यक	फ़ाइल के लिए एक बार होता है	निश्चित लंबाई

नोट: ¬ ASCII कैरेक्टर 170 है।

बी. हैडर सेगमेंट (एचडीआर)

हेडर रिकॉर्ड डेटा सबमिशन फ़ाइल का पहला खंड है। यह एक आवश्यक खंड है, प्रत्येक फ़ाइल के लिए केवल एक हेडर सेगमेंट की सूचना दी जाती है और इसे फ़ाइल की शुरुआत में रिपोर्ट किया जाता है। इसमें सदस्य संस्थान और रिपोर्टिंग तिथि की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है। यह एक निश्चित लंबाई खंड है।

#	फ़ील्ड का नाम	विकल्प	प्रकार	लंबाई	विवरण
1	सेगमेंट की पहचान करना	आवश्यक	एएन	3	हेडर सेगमेंट की पहचान करने के लिए इसमें 'एचडीआर' मान होना आवश्यक है।
2	सबमिशन फाइल का नाम	आवश्यक	एएन	5	इसमें सबमिशन फाइल का नाम शामिल है, उदाहरण के लिए 'एचएमएमएएफ़आई' जो सीआरआईएएफ़ हाई मार्क माइक्रोफाइनेंस इनपुट फाइल को दर्शाता है।
3	लेआउट संस्करण संख्या	आवश्यक	एएन	3	इनपुट फ़ाइल प्रारूप का संस्करण क्रमांक दर्शाता है। इसमें '3.2' मान शामिल है।
4	सदस्य आईडी जमा करना	आवश्यक	एएन	10	इसमें सदस्य संस्थान को सीआईसी द्वारा आवंटित विशिष्ट सदस्य आईडी अवश्य होनी चाहिए।
5	सबमिट करना सदस्य का नाम	आवश्यक	एएन	30	फाइल जमा करने वाले सदस्य संस्थान का नाम अवश्य होना चाहिए।
6	शाखा आईडी जमा करना	मौजूद होने पर आवश्यक	एएन	30	सीआरआईएएफ़ हाई मार्क द्वारा संस्था की शाखा को विकेंद्रीकृत डेटा सबमिशन के लिए आवंटित अद्वितीय शाखा आईडी। इसे खाली छोड़ा जा सकता है, खाली छोड़ने पर 30 स्थान जोड़े जाएंगे।
7	रिपोर्ट की गई तारीख	आवश्यक	D	8	सीआईसी को डेटा की सूचना दी जा रही है की तारीख 'किस रूप में' होनी चाहिए। यदि फ़ाइल में रिकॉर्ड अलग-अलग तिथियों को अद्यतन किए जाते हैं, तो नवीनतम दिनांक का उपयोग करें. DDMMYYYY स्वरूप में मान्य कैलेंडर दिनांक

#	फ़ील्ड का नाम	विकल्प	प्रकार	लंबाई	विवरण
8	फ़ाइल निर्माण तिथि/निष्कर्षण तिथि	आवश्यक	D	8	फ़ाइल बनाने की तिथि, जो कि 'रिपोर्ट की गई तिथि' फ़ील्ड में दी गई तिथि के बराबर अथवा बाद की होनी चाहिए। मान्य कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 'रिपोर्ट की गई तिथि' 31 अगस्त, 2007 है। यदि फ़ाइल 7 सितंबर 2007 को निकाली गई और 8 सितंबर 2007 को सीआरआईएफ़ हाई मार्क को सबमिट की गई, तो फ़ाइल बनाने की तिथि 7 सितंबर 2007 होगी, यानी 07092007।
9	संगठन डेटा संरचना संकेतक	आवश्यक	एएन	3	इसमें संगठन का खाता अथवा ग्राहक संरचना शामिल है. एसएचजी डेटा के लिए एसएचजी JLG + वैयक्तिक डेटा के लिए JLG
10	पासवर्ड	आवश्यक	एएन	30	सदस्य संस्थान को CICs द्वारा असाइन किया गया एन्क्रिप्टेड पासवर्ड होना चाहिए
11	सिस्टम विक्रेता पहचानकर्ता	मौजूद होने पर आवश्यक	एएन	30	विक्रेता प्रणाली का उपयोग किए जाने की स्थिति में डेटा प्रस्तुत करने के लिए सदस्य संस्थान के विक्रेता की पहचान करने के लिए एक विशिष्ट पहचानकर्ता पर सहमति व्यक्त की गई। इन-हाउस विकसित प्रणाली के लिए, 'इनहाउस' निर्दिष्ट करें। खाली छोड़ा जा सकता है, यदि रिक्त है तो 30 रिक्त स्थान जोड़े जाएंगे
12	विक्रेता सिस्टम संस्करण पहचानकर्ता	मौजूद होने पर आवश्यक	एएन	10	विक्रेता प्रणाली का उपयोग किए जाने की स्थिति में डेटा प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रणाली का संस्करण। इन-हाउस विकसित प्रणाली के लिए, 'इनहाउस' निर्दिष्ट करें। खाली छोड़ा जा सकता है, यदि रिक्त है तो 10 रिक्त स्थान जोड़े जाएंगे

#	फ़ील्ड का नाम	विकल्प	प्रकार	लंबाई	विवरण
13	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित		एएन	20	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित

सी. ग्रुप सेगमेंट (GRPCRD)

ग्रुप सेगमेंट डेटा सबमिशन फ़ाइल में दूसरा सेगमेंट है। इसमें समूह की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी शामिल है (केवल एसएचजी के लिए)। यह प्रति समूह एक बार मौजूद होता है। प्रत्येक समूह के भीतर कई ग्राहक/सदस्य हो सकते हैं। यह एक आवश्यक खंड है यदि ऋण श्रेणी T04 अथवा T05 अथवा T06 अथवा T07 है।

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
1	सेगमेंट की पहचान करना	ए/एन	6	आवश्यक	सदस्य/उपभोक्ता वर्ग की पहचान करने के लिए इसमें 'GRPCRD' मान होना आवश्यक है।
2	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	आवश्यक	विशिष्ट समूह पहचानकर्ता जिसका उपयोग सदस्य संस्थान द्वारा समूह की विशिष्ट पहचान करने के लिए किया जाता है।
3	समूह का नाम	ए/एन	200	आवश्यक	एसएचजी समूह का नाम
4	ग्रुप लोन अकाउंट नंबर	ए/एन	30	आवश्यक	बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार समूह का ऋण खाता नंबर
5	वितरित राशि (रु)	एन	9	आवश्यक	इस ऋण के लिए कुल वितरित राशि (में रुपये)
6	बकाया शेष (रु)	एन	9	आवश्यक	इस ऋण के लिए कुल बकाया मूलधन (में रुपये)
7	खुलने/वितरित होने की तिथि	डी	8	आवश्यक	DDMMYYYY स्वरूप में मान्य कैलेंडर दिनांक
8	बंद होने की तारीख (यदि बंद हो)	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	DDMMYYYY स्वरूप में मान्य कैलेंडर दिनांक
9	अंतिम भुगतान की तिथि	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	DDMMYYYY स्वरूप में मान्य कैलेंडर दिनांक
10	किश्तों की संख्या	एन	3	मौजूद होने पर	संवितरण के समय किस्तों की मूल संख्या

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
				आवश्यक	
11	चुकौती आवृत्ति	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: F01- साप्ताहिक F02 - द्विसाप्ताहिक F03 - मासिक F04- द्विमासिक F05- त्रैमासिक F06- अर्ध-वार्षिक F07-वार्षिक F08-एकल भुगतान ऋण (बुलेट/गुब्बारा) F10-अन्य
12	स्थापना राशि	एन	9	आवश्यक	ऋण के लिए किस्त राशि (रु.)
13	अतिदेय राशि (रुपये)	एन	9	आवश्यक	ऐसी राशि जो भुगतान के बाद देय हो तारीख
14	DPD (पिछले देय दिन)	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: 000 = 0 देय भुगतान (चालू खाता) सकारात्मक शेष 001 से 999 = पिछले देय दिनों की संख्या। यदि कोई खाता 999 दिनों से अधिक का है, तो 999 XXX के रूप में चिह्नित करें = इस महीने के लिए कोई भुगतान इतिहास उपलब्ध नहीं है
15	ऋण चक्र आईडी	एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह का नवीनीकरण चक्र संख्या
16	ऋण का प्रकार (टर्म अथवा कैश क्रेडिट)	ए/एन	10	आवश्यक	C01-सावधि ऋण C02- नकद ऋण
17	राइट ऑफ राशि (रुपये)	एन	9	मौजूद होने पर आवश्यक	

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
18	राइट-ऑफ की तारीख (यदि बट्टे खाते में डाल दिया गया हो)	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	
19	राइट-ऑफ कारण (यदि बट्टे खाते में डाल दिया गया हो)	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	गणना: X01- पहला भुगतान चूक X02-मौत X03-इरादतन चूक स्थिति X04-सूट दायर, इरादतन चूक स्थिति X09-अनटैग किया गया X10 - लागू नहीं
20	समूहों का संचार पता	ए/एन	200	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह के लिए संचार पता - पते के प्रमाण दस्तावेज के अनुसार (संख्या, गांव/तालुक, लैंडमार्क, जिला)
21	राज्य कोड (समूह' संचार पता)	एन	2	यदि आवश्यक है पता प्रदान किया गया है	कैटलॉग के अंतर्गत परिभाषित के रूप में एक राज्य कोड होना चाहिए
22	पिन कोड (समूहों का संचार पता)	एन	10	यदि पता प्रदान किया जाता है तो आवश्यक	वैध 6 अंकों का पिन कोड
23	टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	टेलीफोन/संपर्क जानकारी विवरण गणना: P01-निवास P02-कंपनी P03-मोबाइल P04-स्थायी P07-अन्य P08-अनटैग किया गया

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
24	समूह टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	15	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह का टेलीफोन नंबर (संपर्क)
25	समूह का बैंक खाता - बैंक नाम	ए/एन	50	आवश्यक	उस बैंक का नाम जहां समूह का बचत बैंक खाता है
26	समूह का बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	आईएफएससी कोड (पसंदीदा) अथवा बैंक शाखा का नाम जहां समूह का बचत बैंक खाता है
27	समूह का बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	समूह के बचत बैंक खाते का खाता नंबर
28	समूह का बैंक खाता - खाता संतुलन	एन	10	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह के बचत बैंक खाते का खाता शेष (रुपये में)
29	पहली बार बनाई गई तारीख	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह का गठन करने की तिथि
30	पहली लिंकेज तिथि	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	वह तिथि जब समूह को पहली बार ऋण के लिए जोड़ा गया था
31	समूह पहचानकर्ता (सरकार)	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	सरकार के पास दर्ज समूह का पहचानकर्ता
32	एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	U01-NRLM U02-NULM U03-SRLM U04- MEPMA U99-अन्य
33	एसएचपीआई/एनजीओ पहचानकर्ता	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	सदस्य संस्था के पास दर्ज एनजीओ/एसएचपीआई का पहचानकर्ता
34	एसएचपीआई/एनजीओ का नाम	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह गठन में शामिल गैर सरकारी संगठन/एसएचपीआई का नाम

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
35	एसएचपीआई/एनजीओ अधिकारी नाम	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह गठन/संपर्क में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई कर्मियों के नाम समूह गठन/लिंकेज
36	एसएचपीआई/एनजीओ का पता (राज्य और पिन कोड के साथ)	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह गठन में शामिल एनजीओ/एसएचपीआई का पता (गली, गांव/इलाका, तालुक, जिला, राज्य, पिन कोड)

डी. सदस्य/उपभोक्ता खंड (CNSCRD)

सदस्य/उपभोक्ता खंड डेटा जमा करने की फाइल में तीसरा खंड है। इसमें ग्राहक की पहचान करने के लिए आवश्यक जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, पहचान संख्या जैसे मतदाता पहचान पत्र, आधार (यूआईडी), ड्राइविंग लाइसेंस आदि शामिल हैं। यह प्रति ग्राहक एक बार मौजूद होता है। समूह ऋण के लिए, ग्राहक का अर्थ है समूह के भीतर व्यक्तिगत सदस्य।

यह एक अच्छा अभ्यास है कि व्यक्तिगत सदस्य के प्रमुख जनसांख्यिकीय विवरण (नाम, पता, पिता/पति अथवा पत्नी का नाम, आयु, जन्म तिथि) मानक केवाईसी पहचानकर्ताओं में से एक से ठीक से प्राप्त किए जाते हैं, अधिमानतः यूआईडी/आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड अथवा मनरेगा जॉब कार्ड से।

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
1	सेगमेंट की पहचान करना	ए/एन	6	आवश्यक	सदस्य/उपभोक्ता खंड की पहचान करने के लिए 'CNSCRD' मान होना चाहिए।
2	सदस्य पहचानकर्ता	ए/एन	35	आवश्यक	अद्वितीय ग्राहक पहचान सदस्य संस्था द्वारा उपयोग की जाने वाली संख्या
3	शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	सदस्य संस्थान का विशिष्ट शाखा कोड जहां ग्राहक मूल रूप से नामांकित था। उपलब्ध न होने पर खाली छोड़ा जा सकता है
4	केंद्र/केंद्र पहचानकर्ता	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	उस सदस्य संस्थान का विशिष्ट केंद्र कोड जहां ग्राहक मूल रूप से नामांकित था उपलब्ध न होने पर खाली छोड़ा जा सकता है
5	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	उपस्थित होने पर आवश्यक	उस सदस्य संस्था द्वारा उपयोग किया जाने वाला अद्वितीय समूह पहचानकर्ता जहां ग्राहक ने मूल रूप से नामांकन किया था. अथवा समूह का नाम यहां प्रदान किया जाना है। यदि दोनों मौजूद हैं, तो समूह ID^समूह नाम (विभाजक के रूप में ^) यह एक आवश्यक क्षेत्र है यदि ऋण श्रेणी T01 अथवा T02 अथवा T04 अथवा T05 अथवा T06 अथवा T07 है

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
6	सदस्य का नाम 1	ए/एन	100	आवश्यक	ग्राहक का नाम (प्रथम नाम)
7	सदस्य का नाम 2	ए/एन	50	जब आवश्यक हो वर्तमान	ग्राहक का नाम (मध्य नाम)
8	सदस्य का नाम 3	ए/एन	50	उपस्थित होने पर आवश्यक	नाम का द ख़रीदार (अंतिम नाम)
9	सदस्य का वैकल्पिक नाम	ए/एन	30	आवश्यक जब मौजूद हो	यदि ग्राहक का कोई 'उपनाम' अथवा पहला नाम कैप्चर किया जाता है।
10	सदस्य जन्म तिथि	डी	8	आवश्यक	ग्राहक की जन्मतिथि। मान्य कैलेंडर तिथि (दिन, महीना, वर्ष और वर्ष) प्रारूप में होनी चाहिए। यदि आयु और वर्तमान आयु दर्ज की गई है तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है।
11	सदस्य आयु	एन	3	आवश्यक	यदि जन्मतिथि के स्थान पर आयु दर्ज की जाती है, तो सदस्यता के समय दर्ज की गई आयु ही दर्ज की जाएगी। जन्मतिथि दर्ज होने पर इसे खाली छोड़ा जा सकता है।
12	आज की तारीख के अनुसार सदस्य की आयु	डी	8	आवश्यक	जिस तिथि को आयु दर्ज की गई थी - वर्तमान आयु की पहचान करने के लिए। मान्य कैलेंडर तिथि (DDMMYYYY) प्रारूप में होनी चाहिए। यदि जन्मतिथि दर्ज की गई है तो इसे खाली छोड़ा जा सकता है।
13	सदस्य लिंग प्रकार	ए/एन	1	आवश्यक	सूचीबद्ध: F - महिला M - पुरुष T - तृतीय/ट्रांसजेंडर
14	वैवाहिक स्थिति प्रकार	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	सूचीबद्ध: M01 - विवाहित M02 - अलग M03- तलाकशुदा M04 - विधवा M05 - अविवाहित M06 - अनटैग किया गया उपलब्ध न होने पर खाली छोड़ा जा

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					सकता है
15	मुख्य व्यक्ति का नाम*	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	**अभिभावक का नाम** - मुख्य व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामित व्यक्ति का विवरण भरना आवश्यक है।
16	प्रमुख व्यक्ति का रिश्ता	ए/एन	3	मुख्य व्यक्ति का नाम पॉप्युलेट होने पर आवश्यक है	सूचीबद्ध: K01 - पिता K02 - पति K03- माँ K04 -बेटा K05 -बेटी K06-पत्नी K15 -अन्य
17	सदस्य संबंध नाम 1*	ए/एन	100	आवश्यक	**रिश्तेदार नाम-** मुख्य व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामित व्यक्ति का विवरण भरना आवश्यक है।
18	सदस्य संबंध प्रकार 1	ए/एन	3	आवश्यक है जब सदस्य संबंध हिप नाम 1 आबाद है	सूचीबद्ध: K01 - पिता **K02 -पति** K03- माँ K04 -बेटा K05 -बेटी **K06-पत्नी** K15 -अन्य
19	सदस्य संबंध का नाम 2*	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	
20	सदस्य संबंध प्रकार 2	ए/एन	3	सदस्य संबंध हिप नाम 2 पॉप्युलेट होने पर आवश्यक है	सूचीबद्ध: **K01 - पिता** K02 - पति K03- माँ K04 -बेटा K05 -बेटी K06-पत्नी K15 -अन्य
21	सदस्य संबंध का नाम 3*	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
22	सदस्य संबंध प्रकार 3	ए/एन	3	आवश्यक है जब सदस्य संबंध हिप नाम 3 आबाद है	सूचीबद्ध: K01 - पिता K02 - पति K03- माँ K04 -बेटा K05 -बेटी K06- पत्नी K15 -अन्य
23	सदस्य संबंध का नाम 4*	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	
24	सदस्य संबंध प्रकार 4	ए/एन	3	आवश्यक है जब सदस्य संबंध हिप नाम 4 आबाद है	सूचीबद्ध: K01 - पिता K02 - पति K03- माँ K04 -बेटा K05 -बेटी K06-पत्नी K15 -अन्य
25	नामांकित व्यक्ति का नाम*	ए/एन	100	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि परिभाषित हो तो बीमा उद्देश्यों के लिए नामांकित व्यक्ति का विवरण। मुख्य व्यक्ति/सदस्य संबंध/नामांकित व्यक्ति का विवरण भरना आवश्यक है।
26	नामांकित संबंध	ए/एन	3	नामांकित व्यक्ति का नाम पॉप्युलेट होने पर आवश्यक है	सूचीबद्ध: K01 - पिता K02 - पति K03- माँ K04 -बेटा K05 -बेटी K06-पत्नी K15 -अन्य
27	नामांकित आयु	एन	3	नामांकित व्यक्ति का नाम पॉप्युलेट होने पर आवश्यक है	आज के वर्षों में

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
28	मतदाता पहचान पत्र*	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	
29	यूआईडी*	ए/एन	40	मौजूद होने पर आवश्यक	आधार
30	पैन*	ए/एन	15	मौजूद होने पर आवश्यक	
31	राशन कार्ड*	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	
32	सदस्य अन्य आईडी 1 प्रकार विवरण	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	यह फ़ील्ड NREGA ID के लिए आरक्षित है। यदि NREGA ID दर्ज की गई है, तो इस फ़ील्ड में 'NREGA' लिखें। यदि CKYC का मान उपलब्ध है, तो 'CKYC' की जानकारी भी देनी होगी।
33	सदस्य अन्य आईडी 1*	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि एनआरईजीए आईडी दर्ज की गई है, तो पहचान संख्या यहां दर्ज की जानी चाहिए। सीकेवाईसी मूल्य की रिपोर्ट की जानी चाहिए।
34	सदस्य अन्य आईडी 2 प्रकार विवरण	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	अगर कोई और आईडी कैप्चर हो जाती है तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी
35	सदस्य अन्य आईडी 2*	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	अगर कोई और आईडी कैप्चर हो जाती है तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी
36	अन्य आईडी 3 प्रकार	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	अगर कोई और आईडी कैप्चर हो जाती है तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी
37	अन्य आईडी 3 मान*	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	अगर कोई और आईडी कैप्चर हो जाती है तो ऐसी आईडी के बारे में जानकारी
38	टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	टेलीफोन/संपर्क जानकारी विवरण गणना: P01-निवास P02-कंपनी P03- मोबाइल P04-स्थायी P07-

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					अन्य P08-A चिह्नित
39	सदस्य टेलीफोन संख्या 1	ए/एन	15	आवश्यक	
40	टेलीफोन नंबर 2 प्रकार संकेतक	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	गणना: P01-निवास P02-कंपनी P03- मोबाइल P04-स्थायी P07-अन्य P08-A चिह्नित
41	सदस्य टेलीफोन नंबर 2	ए/एन	15	मौजूद होने पर आवश्यक	
42	सदस्य की शैक्षिक योग्यता	ए/एन	3	आवश्यक	ग्राहक की शैक्षिक योग्यता (वैयक्तिक सदस्य) गणना: Y01: निरक्षर Y02: 5वीं कक्षा उत्तीर्ण Y03: 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण। Y04: 10वीं कक्षा उत्तीर्ण Y05: 10वीं से ऊपर
43	आस्ति स्वामित्व संकेतक/गरीबी सूचकांक	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि ग्राहक के पास कोई संपत्ति है, तो Y चिह्नित करें गणना: वाई-हाँ एन- नहीं यदि गरीबी सूचकांक उपलब्ध है, तो इसकी सीधे आपूर्ति की जानी चाहिए। गरीबी सूचकांक (यदि सदस्य संस्थान द्वारा आंतरिक रूप से गणना की जाती है) अथवा संबंधित विवरण जैसे बीपीएल, आदि प्रदान करें

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
44	आश्रितों की संख्या	एन	2	मौजूद होने पर आवश्यक	आश्रित परिवार के सदस्य
45	बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	उस बैंक का नाम जहां ग्राहक का बचत खाता है
46	बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	50	आवश्यक	IFSC कोड (वरीयता) अथवा उस बैंक शाखा का नाम जहां ग्राहक का बचत खाता है
47	बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	ग्राहक के बचत बैंक खाते का खाता नंबर
48	अधिभोग	ए/एन	50	मौजूद होने पर आवश्यक	ग्राहक का व्यवसाय/पेशा गणना: Z01- होम मेकर Z02- भूमिहीन मजदूर Z03- सीमांत किसान Z04- छोटा किसान Z05- गैर-खेती Z06- अन्य
49	कुल मासिक पारिवारिक आय	एन	9	आवश्यक	रुपये में, दशमलव रहित। इस फ़ील्ड में गलत/अधूरा डेटा जमा करने पर रिकॉर्ड अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
50	मासिक पारिवारिक खर्च	एन	9	आवश्यक	रुपये में, कोई दशमलव नहीं
51	सदस्य का धर्म	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	ग्राहक का धर्म गणना: R01 - हिंदू R02 - मुस्लिम R03 - ईसाई R04 - सिख R05 - बौद्ध R06 - जैन R07 - बहाई R08 -अन्य R09 - धर्म नहीं बताया गया

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
52	सदस्य की जाति अथवा सामाजिक स्तर	ए/एन	30	आवश्यक	ग्राहक की जाति गणना: V01 - एससी V02 - एसटी V03 - ओबीसी V04 - NT/VJ (विमुक्ता जाति और खानाबदोश जनजातियाँ) V05 - सामान्य V08 - अन्य V09 - अनटैग किया गया
53	सदस्य की भूमिका	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह के भीतर ग्राहक की भूमिका के लिए संकेतक गणना: L01- नेता/अध्यक्ष/पदाधिकारी L02-एसोसिएट/सचिव L03-सदस्य L04- अनटैग किया गया
54	सेंटर लीडर इंडिकेटर	ए/एन	1	मौजूद होने पर आवश्यक	क्या ग्राहक एक केंद्र नेता है गणना: वाई- हाँ N- नहीं यू- अनटैग किया गया
55	सदस्य की स्थिति	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	समूह के भीतर सदस्य की सहभागिता की स्थिति के लिए संकेतक गणना: W01- सक्रिय (ऋणी सदस्य) W02-निष्क्रिय/निष्क्रिय (गैर-ऋणी सदस्य) W03-बाहर निकलें W04-अनटैग किया गया

***** रिश्ते के विवरण (मुख्य व्यक्ति का नाम, सदस्य संबंध का नाम, नामांकित नाम) अथवा केवाईसी आईडी (मतदाता आईडी, यूआईडी/आधार, राशन कार्ड, पैन, अन्य आईडी) में से एक आवश्यक है। माइक्रोफाइनेंस ग्राहकों के लिए, यूआईडी/आधार, मतदाता आईडी, राशन कार्ड नंबर और नरेगा आईडी सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले पहचानकर्ता हैं।

ई. एड्रेस सेगमेंट (ADRCRD)

पता खंड डेटा सबमिशन फ़ाइल का चौथा खंड है। इसमें ग्राहक के पते शामिल हैं - राज्य कोड और पिन कोड के साथ ग्राहक का स्थायी पता और वर्तमान पता। प्रति सदस्य खंड एक पता खंड अनिवार्य है।

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
56	सेगमेंट की पहचान करें	ए/एन	6	आवश्यक	एड्रेस सेगमेंट की पहचान करने के लिए इसमें 'ADRCRD' मान होना आवश्यक है।
57	सदस्य का स्थायी पता	ए/एन	200	मौजूद होने पर आवश्यक	ग्राहक का स्थायी पता - पते के प्रमाण पत्र में दिए गए अनुसार
58	राज्य कोड (स्थायी पता)	एन	2	यदि स्थायी पता प्रदान किया जाता है तो आवश्यक	कैटलॉग के अंतर्गत परिभाषित के रूप में एक राज्य कोड होना चाहिए
59	पिन कोड (स्थायी पता)	एन	10	यदि स्थायी पता प्रदान किया जाता है तो आवश्यक	वैध 6-अंकीय पिन कोड
60	सदस्य का वर्तमान पता	ए/एन	200	आवश्यक	ग्राहक का वर्तमान अथवा संचार पता - यदि वह स्थायी पते पर नहीं रह रहा है। यदि केवल एक ही पता उपलब्ध है, तो वही पता प्रदान करें जो उसका वर्तमान पता है।
61	राज्य कोड (वर्तमान पता)	एन	2	आवश्यक	यह कैटलॉग के अंतर्गत परिभाषित राज्य कोड होना चाहिए।
62	पिन कोड (वर्तमान पता)	एन	10	आवश्यक	वैध 6-अंकीय पिन कोड
63	ई-मेल आईडी	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	

नोट: केवाईसी पहचानकर्ताओं में से किसी एक से पता कैप्चर करने की सूचना दी जाती है

फ. खाता खंड (ACTCRD)

खाता खंड डेटा सबमिशन फ़ाइल के भीतर पांचवां खंड है। इसमें खाते से संबंधित वित्तीय जानकारी जैसे खाता संख्या, क्रेडिट उत्पाद का प्रकार, मूल और वर्तमान शर्तें और पुनर्भुगतान जानकारी शामिल होती है। एक ग्राहक सेगमेंट के लिए एक से अधिक खाता सेगमेंट मौजूद हो सकते हैं.

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
64	सेगमेंट की पहचान करें	ए/एन	6	आवश्यक	अकाउंट सेगमेंट की पहचान करने के लिए इसमें "ACTCRD" मान होना आवश्यक है।
65	अद्वितीय खाता संदर्भ संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	खाता संख्या बदलने पर भी यह फ़ील्ड अपरिवर्तित रहेगा; इसमें ग्राहक आईडी हो सकती है। जानकारी की पुनरावृत्ति से बचने के लिए प्रत्येक सबमिशन में यह फ़ील्ड एक समान होना चाहिए। शाखा विभाजन अथवा शाखा विलय की स्थिति में, जहां ऋण की अवधि के दौरान खाता संख्या बदलती है, वहां मूल ऋण खाता संख्या यहां प्रदर्शित की जानी चाहिए।
66	खाता संख्या	ए/एन	35	आवश्यक	ऋण खाते का खाता संख्या। यदि ऋण की अवधि के दौरान कोई विभाजन अथवा शाखा संयोजन नहीं हुआ है, तो यह पिछले फ़ील्ड के समान ही होगा।
67	शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	उस शाखा का विशिष्ट कोड जहां वर्तमान में ऋण खाता है। उपलब्ध न होने पर इसे खाली छोड़ा जा सकता है।
68	केंद्र/केंद्र पहचानकर्ता	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	अद्वितीय केंद्र कोड जहां वर्तमान में ऋण खाता रखा जाता है उपलब्ध न होने पर खाली छोड़ा जा सकता है
69	ऋण की उत्पत्ति करने वाला ऋण अधिकारी	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	ऋण की उत्पत्ति करने वाले अधिकारी का कर्मचारी कोड उपलब्ध न होने पर खाली छोड़ा जा सकता है

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
70	खाते की जानकारी की तिथि	डी	8	आवश्यक	वह दिनांक जिस पर खाते को अंतिम बार अद्यतन किया गया था. DDMMYYYY स्वरूप में मान्य कैलेंडर दिनांक
71	ऋण श्रेणी[5]	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: T01- JLG समूह T02- JLG वैयक्तिक T03 - वैयक्तिक
					T04 - एसएचजी समूह T05 - एसएचजी वैयक्तिक T06 - एसएचजी ग्रुप - सरकार T07 - एसएचजी इंट्रा- ग्रुप T08 - अन्य
72	समूह पहचानकर्ता	ए/एन	50	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि ऋण श्रेणी T01, T02, T04, T05, T06 अथवा T07 है तो यह फ़ील्ड भरना आवश्यक है। यह सदस्य संस्थान द्वारा निर्धारित विशिष्ट समूह कोड है। समूह का नाम यहाँ प्रदान करें। यदि दोनों मौजूद हैं, तो इसे "समूह आईडी^समूह नाम" के रूप में प्रदान करें।
73	ऋण चक्र-आईडी	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	सदस्य संस्थान के साथ ग्राहक का नवीनीकरण चक्र नंबर
74	ऋण का उद्देश्य	ए/एन	20	आवश्यक	ऋण का उद्देश्य
75	खाते की स्थिति	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: S01 - ऋण जमा किया गया S02 - ऋण स्वीकृत - अभी तक वितरित नहीं किया गया S03 - ऋण अस्वीकृत S04 -

[5] जेएलजी-इंडिविजुअल: जेएलजी ऋण जहां व्यक्तिगत स्तर पर ऋण पर नज़र रखी जा रही है; जेएलजी-ग्रुप: जेएलजी ऋण जहां समूह स्तर पर ऋण पर नज़र रखी जा रही है; व्यक्तिगत: व्यक्तिगत माइक्रोफाइनेंस ऋण (जेएलजी अथवा एसएचजी नहीं) - यह ऋण अथवा तो इस प्रारूप में अथवा उपभोक्ता डेटा प्रारूप में रिपोर्ट किया जाना चाहिए, लेकिन दोनों प्रारूपों में नहीं; एसएचजी व्यक्तिगत: जहां व्यक्तिगत स्तर पर ऋण की राशि को ट्रैक किया जा रहा है; एसएचजी - समूह: जहां उधार दी गई राशि को केवल समूह स्तर पर ट्रैक किया जा रहा है; एसएचजी समूह सरकार: एसएचजी समूह के समान लेकिन एक सरकारी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है; SHG-Group-Intra: इंट्रा ग्रुप लेंडिंग को कवर करने वाले ग्रुप के समान।

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
					वर्तमान S05 - अपराधी S06 - बट्टे खाते में डाल दिया S07 - खाता बंद एस08- कोविड-19 के कारण पुनर्गठित एस09-पुनर्गठित और बंद S10-सेटल S11-पोस्ट राइट ऑफ सेटल S12-पोस्ट राइट ऑफ बंद S15 - रद्द
76	आवेदन की तारीख	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि
77	स्वीकृत तिथि	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि
78	खुलने/वितरित करने की तिथि D	डी	8	आवश्यक	DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि
79	बंद होने की तारीख (यदि बंद हो)	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि खाते की स्थिति S07 है तो यह आवश्यक है। मान्य कैलेंडर तिथि DDMMYYYY प्रारूप में होनी चाहिए।
80	अंतिम भुगतान की तिथि	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	DDMMYYYY प्रारूप में मान्य कैलेंडर तिथि
81	राशि के लिए आवेदन	एन	9	मौजूद होने पर आवश्यक	आवेदन में आवेदन की गई राशि
82	ऋण राशि स्वीकृत	एन	9	आवश्यक	कुल वितरित राशि (रुपये) के अंतर्गत मूल्य के साथ इसे दोहराया जा सकता है।

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
83	वितरित कुल राशि (रुपये)	एन	9	आवश्यक	वितरित राशि
84	किश्तों की संख्या	एन	3	आवश्यक	भुगतान के समय किश्तों की मूल संख्या। इस क्षेत्र में गुलत/अधूरा डेटा जमा करने पर रिकॉर्ड अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
85	चुकौती आवृत्ति	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: F01- साप्ताहिक F02 - द्विसाप्ताहिक F03 - मासिक F04- द्विमासिक F05- त्रैमासिक F06- अर्ध-वार्षिक F07-वार्षिक F08-एकल भुगतान ऋण (बुलेट/गुब्बारा) F10-अन्य इस क्षेत्र में गलत/डेटा प्रस्तुत न करने से रिकॉर्ड को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
86	न्यूनतम देय राशि/किस्त राशि	एन	9	आवश्यक	ऋण की किस्त राशि से संबंधित इस क्षेत्र में गुलत/अधूरा डेटा जमा करने पर रिकॉर्ड अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
87	वर्तमान शेष (रुपये)	एन	9	आवश्यक	ऋण पर केवल बकाया मूलधन
88	अतिदेय राशि (रुपये)	एन	9	आवश्यक	ऐसी राशि जो भुगतान के बाद की तारीख देय हो
89	DPD (पिछले देय दिन)	ए/एन	3	आवश्यक	गणना: 000 = 0 बकाया भुगतान (चालू खाता) सकारात्मक शेष के साथ। 001 से 999 = बकाया दिनों की संख्या। यदि कोई खाता 999 दिनों से अधिक का है, तो उसे 999 के रूप में चिह्नित करें। XXX = इस महीने के लिए कोई भुगतान इतिहास उपलब्ध नहीं है।
90	राइट ऑफ राशि (रुपये)	एन	9	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि खाते की स्थिति S06 है तो आवश्यक है

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
91	राइट-ऑफ की तारीख (यदि बट्टे खाते में डाल दिया गया हो)	डी	8	मौजूद होने पर आवश्यक	यदि खाते की स्थिति S06 है तो आवश्यक है। DDMMYYYY स्वरूप में मान्य कैलेंडर दिनांक
92	राइट-ऑफ कारण (यदि बट्टे खाते में डाल दिया गया हो)	ए/एन	20	मौजूद होने पर आवश्यक	गणना: यदि खाता स्थिति S06 है, तो आवश्यक है X01- पहला भुगतान चूक X02-मौत X03-इरादतन चूक स्थिति X04-सूट दायर, इरादतन चूक स्थिति X09-अनटैग X10 - लागू नहीं
93	नहीं। आयोजित बैठकों की संख्या	एन	3	जब आवश्यक हो वर्तमान	ऋण वितरण के बाद से आयोजित केंद्र बैठकों की संख्या
94	नहीं। छूटी हुई बैठकों की संख्या	एन	3	उपस्थित होने पर आवश्यक	उपर्युक्त में से उन केंद्रों की बैठकों की संख्या जिनमें ग्राहक ने भाग नहीं लिया है
95	बीमा संकेतक	ए/एन	1	आवश्यक जब मौजूद हो	गणना: वाई- हाँ N- नहीं
96	बीमा का प्रकार	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	गणना: L01 - जीवन बीमा L02 - क्रेडिट बीमा L03 - स्वास्थ्य/चिकित्सा बीमा L04 - संपत्ति बीमा L05 - देयता बीमा L10 - अन्य
97	बीमित राशि/कवरेज	एन	10	मौजूद होने पर आवश्य क	बीमा के लिए बीमित राशि

#	फ़ील्ड का नाम	प्रकार	लंबाई	विकल्प	विवरण
98	सप्ताह के सहमत बैठक दिवस	ए/एन	3	मौजूद होने पर आवश्यक	गणना: सोमवार - सोमवार मंगल - मंगलवार बुध - बुधवार गुरु - गुरुवार FRI - शुक्रवार शनि - शनिवार रवि - रविवार
99	दिन के बैठक के समय पर सहमत	ए/एन	5	मौजूद होने पर आवश्यक	HH:MM प्रारूप में होना चाहिए
100	डमी	ए/एन	30	मौजूद होने पर आवश्यक	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित

जी. ट्रेलर सेगमेंट (TRL)

ट्रेलर रिकॉर्ड क्रेडिट रिपोर्टिंग फ़ाइल का अंतिम खंड है। यह सेगमेंट एक आवश्यक सेगमेंट है, जो प्रति फ़ाइल केवल एक बार दिखाई देता है और फ़ाइल के अंत को इंगित करता है। यह एक निश्चित लंबाई खंड है।

#	फ़ील्ड का नाम	विकल्प	प्रकार	लंबाई	विवरण
1	सेगमेंट की पहचान करें	आवश्यक	एक	3	ट्रेलर सेगमेंट की पहचान करने के लिए इसमें 'TRL' मान होना आवश्यक है।
2	लेआउट संस्करण संख्या	आवश्यक	एक	3	इनपुट फ़ाइल प्रारूप का संस्करण क्रमांक दर्शाता है। इसमें '3.0' मान शामिल है।
3	सदस्य आईडी जमा करना	आवश्यक	एक	10	इसमें सीआरआईएफ हाई मार्क द्वारा सदस्य संस्थान को आवंटित अद्वितीय सदस्य आईडी अवश्य होनी चाहिए।
4	के लिए आरक्षित भविष्य में उपयोग		एक	20	भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित

शब्दावली

अवधि	विवरण
डी	तारीख
एन	संख्यात्मक डेटा
ए/एन	वर्ण-संख्यात्मक

कैटलॉग

ए: राज्य

कोड	विवरण	कोड	विवरण
एक	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	एलडी	लक्षद्वीप
एपी	आंध्र प्रदेश	एमएच	मध्य प्रदेश
एआर	अरुणाचल प्रदेश	मिलिलिटर	महाराष्ट्र
एएस	असम	एमएन	मणिपुर
बीआर	बिहार	सांसद	मेघालय
सीजी	चंडीगढ़	एमजेड	मिजोरम
अध्याय	छत्तीसगढ़	एनएल	नागालैंड
डीडी	दादरा और नगर हवेली	या	उड़ीसा
डीएल	दिल्ली	पीबी	पंजाब
डीएन	दमन और दीव	पीवाई	पुडुचेरी
जीए	गोवा	आरजे	राजस्थान
जीजे	गुजरात	एसके	सिक्किम
एचपी	हरियाणा	तमिलनाडु	तमिलनाडु
घंटा	हिमाचल प्रदेश	टीआर	त्रिपुरा
जेएच	जम्मू और कश्मीर	टीएस	तेलंगाना राज्य
जेके	झारखंड	यूके (पूर्व में यूए)	उत्तराखंड
केए	कर्नाटक	ऊपर	उत्तर प्रदेश
केएल	केरल	डब्ल्यूबी	पश्चिम बंगाल

नमूना संरचना

हैडर खंड

खंड पहचानकर्ता	एचडीआर
प्रस्तुत की जाने वाली फ़ाइल का नाम	एचएमएमएफ़आई
लेआउट संस्करण संख्या	3.2
प्रस्तुत करने वाले सदस्य का आईडी	XXXXXXXXXX
प्रस्तुत करने वाले सदस्य का नाम	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
प्रस्तुत करने वाली शाखा का आईडी	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
रिपोर्ट की तारीख	31032016
फ़ाइल निर्माण तिथि/निष्कर्षण तारीख	12042016
संगठन सदस्य संरचना संकेतक	XXX
पासवर्ड	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
सिस्टम विक्रेता पहचानकर्ता	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
विक्रेता सिस्टम संस्करण पहचानकर्ता	XXXXXXXXXX
भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ट्रेलर सेगमेंट

खंड पहचानकर्ता	टीआरएल
लेआउट संस्करण संख्या	3.0
प्रस्तुत करने वाले सदस्य का आईडी	XXXXXXXXXX
भविष्य में उपयोग के लिए आरक्षित	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

डेटा सेगमेंट

सेगमेंट पहचानकर्ता	ए/एन	सीएनएससीआरडी
सदस्य पहचानकर्ता	ए/एन	12345678
शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	9003
केंद्र/केंद्र पहचानकर्ता	ए/एन	039003
समूह पहचानकर्ता	ए/एन	039001^INDIRA SHG
सदस्य का नाम 1	ए/एन	अनीता जयंत नाथ
सदस्य का नाम 2	ए/एन	
सदस्य का नाम 3	ए/एन	
सदस्य का वैकल्पिक नाम	ए/एन	
सदस्य जन्म तिथि	(DDMMYYYY)	01011975
सदस्य आयु	एन	39
आज की तारीख के अनुसार सदस्य की आयु	(DDMMYYYY)	31012015
सदस्य लिंग प्रकार	ए/एन	स्त्री-विषयक
वैवाहिक स्थिति प्रकार	ए/एन	एम01
मुख्य व्यक्ति का नाम	ए/एन	जयंत नाथ
प्रमुख व्यक्ति का रिश्ता	ए/एन	के02
सदस्य संबंध का नाम 1	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार 1	ए/एन	
सदस्य संबंध का नाम 2	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार 2	ए/एन	
सदस्य संबंध का नाम 3	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार 3	ए/एन	
सदस्य संबंध का नाम 4	ए/एन	
सदस्य संबंध प्रकार 4	ए/एन	
नामांकित व्यक्ति का नाम	ए/एन	जयंत नाथ
नामांकित व्यक्ति के साथ रिश्ता	ए/एन	के02
नामांकित व्यक्ति की आयु	एन	
मतदाता पहचान पत्र	ए/एन	
यूआईडी	ए/एन	
पैन (PAN)	ए/एन	
राशन कार्ड	ए/एन	
सदस्य अन्य आईडी 1 प्रकार विवरण	ए/एन	वोटर आईडी
सदस्य अन्य आईडी 1	ए/एन	मूल्य1
सदस्य अन्य आईडी 2 प्रकार विवरण	ए/एन	
सदस्य अन्य आईडी 2	ए/एन	

अन्य आईडी 3 प्रकार	ए/एन	
अन्य आईडी 3 मान	ए/एन	
टेलीफोन नंबर 1 प्रकार संकेतक	ए/एन	पी03
सदस्य टेलीफोन नंबर 1	ए/एन	8754698XXX
टेलीफोन नंबर 2 प्रकार संकेतक	ए/एन	
सदस्य टेलीफोन नंबर 2	ए/एन	
सदस्य की शैक्षिक योग्यता	ए/एन	
आस्ति स्वामित्व संकेतक/गरीबी सूचकांक	ए/एन	
आश्रितों की संख्या	एन	2
बैंक खाता - बैंक का नाम	ए/एन	
बैंक खाता - शाखा का नाम	ए/एन	
बैंक खाता - खाता संख्या	ए/एन	
अधिभोग	ए/एन	
कुल मासिक पारिवारिक आय	एन	
मासिक पारिवारिक खर्च	एन	
सदस्य का धर्म	ए/एन	आर08
सदस्य की जाति	ए/एन	
सदस्य की भूमिका	ए/एन	एल01
सेंटर लीडर इंडिकेटर	ए/एन	Y
सदस्य की स्थिति	ए/एन	डब्ल्यू01
सेगमेंट की पहचान करें	ए/एन	एडीआरसीआरडी
सदस्य का स्थायी पता	ए/एन	लाइंग पार्ट, लायिंग, राजगांगपुर, सुंदरगढ़
राज्य कोड (स्थायी पता)	एन	या
पिन कोड (स्थायी पता)	एन	770017
सदस्य का वर्तमान पता	ए/एन	लाइंग पार्ट, लायिंग, राजगांगपुर, सुंदरगढ़
राज्य कोड (वर्तमान पता)	एन	या
पिन कोड (वर्तमान पता)	एन	770017
पता	ए/एन	
खंड पहचानकर्ता	ए/एन	एसीटीसीआरडी
अद्वितीय खाता संदर्भ संख्या	ए/एन	039000012
खाता संख्या	ए/एन	123456
शाखा पहचानकर्ता	ए/एन	9003
केंद्र/केंद्र पहचानकर्ता	ए/एन	039003
ऋण की उत्पत्ति के लिए ऋण अधिकारी	ए/एन	एबीसी XYZ
खाते की जानकारी की तिथि	डी (DDMMYYYY)	03102015

ऋण श्रेणी	ए/एन	टी04
समूह पहचानकर्ता	ए/एन	039001^INDIRA SHG
ऋण चक्र-आईडी	ए/एन	1
ऋण का उद्देश्य	ए/एन	समुद्र
खाते की स्थिति	ए/एन	एस04
आवेदन की तारीख	(DDMMYYYY)	04022014
स्वीकृत तिथि	(DDMMYYYY)	28022014
खुलने/वितरित होने की तिथि	(DDMMYYYY)	28022014
बंद होने की तारीख (यदि बंद हो)	(DDMMYYYY)	
अंतिम भुगतान की तिथि	(DDMMYYYY)	08032016
राशि के लिए आवेदन	एन	15000
स्वीकृत ऋण राशि	एन	15000
वितरित कुल राशि (रुपये)	एन	15000
किश्तों की संख्या	एन	24
चुकौती आवृत्ति	ए/एन	एफ03
न्यूनतम बकाया राशि/किस्त राशि	एन	808
वर्तमान शेष (रुपये)	एन	4599
अतिदेय राशि (रुपये)	एन	0
DPD (पिछले देय दिन)	ए/एन	0
राइट ऑफ राशि (रुपये)	एन	
राइट-ऑफ की तारीख (यदि बट्टे खाते में डाल दिया गया हो)	(DDMMYYYY)	
राइट-ऑफ कारण (यदि बट्टे खाते में डाल दिया गया अथवा हो)	ए/एन	
नहीं। आयोजित बैठकों की संख्या	एन	45
नहीं। छूटी हुई बैठकों की संख्या	एन	22
बीमा संकेतक	ए/एन	
बीमा का प्रकार	ए/एन	
बीमित राशि/कवरेज	एन	
सप्ताह के सहमत बैठक दिवस	ए/एन	
दिन के बैठक के समय पर सहमत	ए/एन	
डमी	ए/एन	

अनुबंध II

क्रेडिट सूचना कंपनियों को वाणिज्यिक पत्रों पर जानकारी की रिपोर्ट करने के लिए प्रारूप

'सीपी' प्रस्तावित क्षेत्र	वाणिज्यिक डेटा सबमिशन प्रारूप में उपलब्ध फ़ील्ड	विवरण में अद्यतन करें वाणिज्यिक पत्र के मामले में प्रारूप का कॉलम
सीपी जारीकर्ता का नाम	बीएस सेगमेंट - फील्ड नंबर 4। फ़ील्ड नाम: उधारकर्ता का नाम	'सीपी जारीकर्ता का नाम'
सीपी राशि	सीआर सेगमेंट - फील्ड नंबर 5। फ़ील्ड नाम: स्वीकृत अनुबंध की राशि/अनुमानित राशि	'सीपी की राशि' दी जानी है
जारी करने की तारीख	सीआर सेगमेंट - फील्ड नंबर 4। फ़ील्ड का नाम: सुविधा/ऋण सक्रियण/ स्वीकृति तिथि	'जारी करने की तारीख' दी जाएगी
परिपक्वता तिथि	सीआर सेगमेंट - फील्ड नंबर 13। फ़ील्ड नाम: ऋण समाप्ति / परिपक्वता तिथि	दी जाने वाली 'परिपक्वता तिथि'
सीआरए का नाम	बीएस सेगमेंट- फील्ड नंबर 24। फ़ील्ड का नाम: मूल्यांकन सरकारी एजेंसी / विशेषज्ञ	'सीआरए का नाम' रिपोर्ट किया जाएगा
रेटिंग एजेंसी	बीएस सेगमेंट - फील्ड नंबर 23। फ़ील्ड नाम: क्रेडिट रेटिंग	'निर्धारित रेटिंग' की रिपोर्ट की जानी है
चूक की राशि	सीआर खंड - फ़ील्ड संख्या 17. फ़ील्ड का नाम: बकाया राशि / बकाया सीमा	'चूक की राशि' दी जानी है

अनुबंध III

व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों के संग्रह के लिए सांकेतिक डेटा प्रारूप[6]

सारणी 1: व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले अथवा प्राप्त किए जाने वाले ऋण की कुल राशि ₹30, 000 से अधिक है [7]

विवरण की आवश्यकता है	विवरण प्रदान किया गया	आधार
I. गर-क्राडट जानकारा		
1. एसएचजी का नाम		स्वय सहायता समूह के सदस्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
2. स्वय सहायता समूह का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा प्रदान किया जाना है
3. स्वय सहायता समूह का ऋण खाता क्रमांक		बैंक द्वारा सौपा जाना है
4. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज पर दिखाई देता है या सीआई के रिकॉर्ड
5. बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड नं. /वोटर आईडी/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/नरेगा कार्ड पासपोर्ट[8]
6. यदि उपलब्ध हो तो बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान पत्र का विशिष्ट क्रमांक।		दस्तावेजी प्रमाण की जरूरत
7. पिता/पति का नाम		जैसा कि सीआइ द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज में उल्लेख किया गया है
8. पुरुष अथवा महिला		एसएचजी द्वारा घोषित के अनुसार सदस्य
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज पर मुद्रित हो)		डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई

[6] इसमें निर्धारित फॉर्म सूचना आवश्यकताओं को इंगित करने के लिए हैं और किसी भी प्रारूप में डिजिटाइज़ किए जा सकते हैं, जो यहां बताए गए सभी विवरणों और विवरणों को एकत्र करने के अधीन है।

[7] नए एसएचजी को ऋण स्वीकृत करते समय अथवा मौजूदा ऋणों के नवीकरण अथवा मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्र किया जाना चाहिए। अपने बोर्डों के अनुमोदन से, एसएचजी ऋण खंड में 10% से अधिक सकल एनपीए अनुपात वाले बैंक इस तालिका और अगली तालिका में दर्शाई गई सूचना/डेटा एकत्र करने के लिए एक कम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत से कोई सब्सिडी अथवा मार्जिन शामिल नहीं होगा जो गतिविधि अथवा उस उद्देश्य के वित्तपोषण की ओर जाता है जिसके लिए ऋण लिया गया है (दोनों अथवा तो बैक एंड अथवा फ्रंट एंड)।

[8] बैंक विशेष रूप से यह देख सकते हैं कि क्या एसएचजी सदस्यों में से कोई भारतीय रिज़र्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपियों - अपने ग्राहक को जानें) निदेश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के दायरे में आएगा, जो आरबीआई द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपायों की शुरुआत से संबंधित है और उन्हें लघु जमा खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाते प्रदान करेगा। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य इस तरह का खाता खोलने का इच्छुक है, केवाईसी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार किया जाना चाहिए और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और सीआईसी को सूचित किया जाना चाहिए। कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना चाहिए यदि एसएचजी सदस्य का बचत बैंक खाता खोलने के समय केवाईसी पहले ही किया जा चुका है, अथवा अन्यथा।

10. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)		घोषणा का आधार[9]
11. अन्य मौजूदा बैंक खातों के बारे में जानकारी		घोषणा का आधार
12. शैक्षिक स्तर	<u>उपयोग किए जाने वाले कोड</u> निरक्षर: 1 पद 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण: 2 8 वीं कक्षा उत्तीर्ण: 3 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण: 4 10वीं कक्षा से ऊपर: 5	घोषणा का आधार
13. व्यवसाय	<u>उपयोग किए जाने वाले कोड</u> गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा का आधार
14. मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)		घोषणा का आधार
15. सामाजिक स्तर	<u>उपयोग किए जाने वाले कोड</u> अनुसूचित जाति: 1 एसटी: 2 ओबीसी: 3 सामान्य: 5	घोषणा का आधार
16. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा का आधार
द्वितीय। क्रेडिट संबंधी जानकारी[10]		
17. अन्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से प्राप्त मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी, जिनमें व्यक्ति सदस्य है।		सीआई द्वारा प्राप्त सीआइ रिपोर्ट अथवा सीआई रिपोर्ट के आधार पर (सीआईसी रिपोर्ट के अभाव में)
17.1 एसएचजी खाते का स्थिति □ एसएचजी का नाम □ एसएचजी का ऋण खाता संख्या □ ऋण देने वाले बैंक का नाम □ उधार ली गई राशि □ बकाया राशि □ खाते की स्थिति □ नियमित सैनिक □ चूकर □ निपटान किए हुए □ न्यायालय में विचाराधीन		सीआइ द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो
17.2 यदि चूक में है, तो एसएचजी सदस्य के ऋण खाते की स्थिति यदि		यदि उपलब्ध हो तो सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर; अन्य मामलों में स्वयं सहायता समूह के पत्र पर भरोसा किया जाएगा।

[9] केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त करने के लिए सीआई।

[10] लागू नहीं होगा, यदि समूह ऋण ₹1,00,000/- तक है।

एसएचजी ऋण उसे वितरित किया गया *था*[11] • एसएचजी का नाम • ऋण देने वाले बैंक का नाम • उधार ली गई राशि • बकाया राशि		
18. सीआई द्वारा स्वयं सहायता समूह को दिए गए समूह ऋण में से ली जाने वाली प्रस्तावित ऋण राशि। [12]		स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष/सचिव का पत्र। बाद में इसकी पुष्टि सीआई द्वारा की जाएगी।
19. सदस्य द्वारा वैयक्तिक क्षमता में अन्य स्रोतों से लिए गए ऋण		यह जानकारी सीआईसी रिपोर्टों के आधार पर एकत्रित की जा सकती है, यदि वे उपलब्ध हों। यदि सीआईसी के पास ये रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं, तो सदस्य द्वारा अपने पिछले ऋणों की घोषणा करने के बाद व्यक्तिगत सीआईसी की रिपोर्टें प्राप्त की जा सकती हैं।

[11] जब तक सीआईसी के पास व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों का डाटा बेस उपलब्ध नहीं हो जाता, तब तक संबंधित एसएचजी द्वारा उपलब्ध कराए गए पत्र के आधार पर यह जानकारी एकत्र की जा सकती है और उस पर भरोसा किया जा सकता है। 17.2 यदि एसएचजी खाता नियमित है तो लागू नहीं होगा।

[12] सभी एसएचजी को पहले से ही यह तय करना चाहिए कि वे एसएचजी ऋण का उपयोग कैसे करने का प्रस्ताव रखते हैं। व्यक्तिगत सदस्यों को ऋण का वास्तविक वितरण जहां 30,000 रुपये से अधिक होने पर सहमति हुई थी अथवा जहां वितरित वास्तविक राशि 30000 रुपये से अधिक थी, हालांकि सीआई से ऋण लेने के समय सहमति नहीं हुई थी, एसएचजी पदाधिकारियों द्वारा सीआई को सूचित किया जाना चाहिए। एसएचजी को आगे ऋण देते समय अथवा अगली बार इसकी नकद ऋण सीमा को नवीनीकृत करते समय इस शर्त का पालन न करने को ध्यान में रखा जा सकता है। सीआई को समूह ऋणों से लिए गए ऋणों की राशि के बारे में गलत जानकारी प्रदान करने के लिए दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित ऋण समझौतों में उपयुक्त खंडों को शामिल करने की आवश्यकता है। अपने अनुभव के आधार पर, सीआई उन मामलों में सीआई ऋणों से वितरित राशियों के सत्यापन योग्य रिकॉर्ड के रखरखाव पर भी जोर दे सकते हैं जहां एसएचजी द्वारा प्रति सदस्य 20,000 रुपये से अधिक ऋण लिया गया है।

सारणी 2: व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों से एकत्र की जाने वाली जानकारी जहां एसएचजी सदस्य को दिए जाने वाले अथवा प्राप्त किए जाने वाले ऋण की कुल राशि ₹30,000 तक है [13]

विवरण की आवश्यकता है	विवरण प्रदान किया गया	प्रवर्तन-बिंदु
I. गैर-क्रेडिट जानकारी		
1. एसएचजी का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा प्रदान किया जाना है
2. स्वयं सहायता समूह का बचत बैंक खाता संख्या		एसएचजी सदस्य द्वारा प्रदान किया जाना है
3. स्वयं सहायता समूह का ऋण खाता क्रमांक		सीआई द्वारा सौंपा जाना है
4. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज अथवा सीआई के रिकॉर्ड पर दिखाई देता है
5. सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज		आधार कार्ड नंबर/वोटर आईडी/पैन/ड्राइविंग लाइसेंस/नरेगा/पासपोर्ट[14] नंबर/वोटर कार्ड
6. सीआई द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज की विशिष्ट संख्या, यदि उपलब्ध हो		दस्तावेजों प्रमाण की जरूरत
7. पिता/पति का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकार किए गए पहचान दस्तावेज़ में उल्लेख किया गया है
8. पुरुष अथवा महिला		जैसा कि सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
9. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज पर मुद्रित हो)		डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई
10. पता (राज्य कोड और पिन के साथ पूरा पता कोड)		घोषणा का आधार[15]
11. जानकारी करीबन अन्य मौजूदा बैंक खाते		घोषणा का आधार
12. शैक्षिक स्तर	उपयोग किए जाने वाले कोड निरक्षर:	घोषणा का आधार

[13] नए एसएचजी को ऋण स्वीकृत करते समय अथवा मौजूदा ऋणों के नवीकरण अथवा मौजूदा एसएचजी को अतिरिक्त ऋण प्रदान करते समय एकत्र किया जाना चाहिए। अपने बोर्डों के अनुमोदन से, एसएचजी ऋण खंड में 10% से अधिक सकल एनपीए अनुपात वाले बैंक इस तालिका में दर्शाई गई जानकारी/डेटा एकत्र करने के लिए कम सीमा निर्धारित कर सकते हैं। इस राशि में सदस्य की अपनी बचत से कोई सब्सिडी अथवा मार्जिन शामिल नहीं होगा जो गतिविधि अथवा उस उद्देश्य के वित्तपोषण की ओर जाता है जिसके लिए ऋण लिया गया है (दोनों अथवा तो बैंक एंड अथवा फ्रंट एंड)।

[14] बैंक विशेष रूप से यह देख सकते हैं कि क्या एसएचजी सदस्यों में से कोई भारतीय रिजर्व बैंक (आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियां - अपने ग्राहक को जानें) निदेश, 2025 (समय-समय पर संशोधित) के दायरे में आएगा, जो आरबीआई द्वारा पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपायों की शुरुआत से संबंधित है और उन्हें लघु जमा खाते/बुनियादी बचत बैंक जमा खाते की पेशकश करेगा। जहां भी कोई एसएचजी सदस्य इस तरह का खाता खोलने का इच्छुक है, केवाईसी आरबीआई के परिपत्र के अनुसार किया जाना चाहिए और केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और सीआईसी को सूचित किया जाना चाहिए। कोई दस्तावेज एकत्र नहीं किया जाना चाहिए यदि एसएचजी सदस्य का बचत बैंक खाता खोलने के समय केवाईसी पहले ही किया जा चुका है, अथवा अन्यथा।

[15] सीआई सेंट्रल केवाईसी से जानकारी निकालेगा।

	1 पद 5 वीं कक्षा उत्तीर्ण: 2 उत्तीर्ण 8वीं कक्षा: 3 10 वीं कक्षा उत्तीर्ण: 4 10वें से ऊपर: 5	
13. व्यवसाय	<u>उपयोग किए जाने वाले कोड</u> गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 छोटे किसान: 4	घोषणा का आधार
14. मासिक पारिवारिक आय (₹ में)		घोषणा का आधार
15. सामाजिक स्तर	<u>उपयोग किए जाने वाले कोड</u> एससी: 1 एसटी: 2 ओबीसी: 3 सामान्य: 5	घोषणा का आधार)
16. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा का आधार
II. क्रेडिट से संबंधित जानकारी[16]		
17. मौजूदा ऋणों के बारे में जानकारी - अन्य एसएचजी के माध्यम से जहां व्यक्ति सदस्य है		सीआई द्वारा प्राप्त सीआई रिपोर्ट अथवा सीआई रिपोर्ट के आधार पर (सीआईसी रिपोर्ट के अभाव में)
17.1 *एसएचजी खाते की स्थिति* □ एसएचजी का नाम □ एसएचजी का ऋण खाता संख्या □ ऋण देने वाले बैंक का नाम □ उधार ली गई राशि □ बकाया राशि □ खाते की स्थिति □ नियमित सैनिक □ डिफॉल्टर □ बसे हुए □ न्यायालय में विचाराधीन		सीआई द्वारा प्राप्त सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो
18. सीआई द्वारा एसएचजी को दिए गए समूह ऋण में से प्रस्तावित ऋण की राशि		सीआईसी रिपोर्ट के आधार पर, यदि उपलब्ध हो
19. सदस्य द्वारा अन्य स्रोतों से व्यक्तिगत क्षमता में लिए गए ऋण		स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) के रिकॉर्ड से सीआई द्वारा ऋण की राशि का सत्यापन किया जाएगा।

[16] यदि समूह ऋण की राशि ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) तक है तो लागू नहीं होगा।

सारणी 3[17]: यूनिफॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट (एमएफआई) के हिस्से के रूप में सीआई द्वारा सीआई को रिपोर्ट किए जाने वाले व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी

रिपोर्ट किए जाने वाले विवरण	एमएफआई रिपोर्टिंग प्रारूप में संबंधित फ़ील्ड
I. गर-क्राडट सबधा जानकारा	
1. नाम (जैसा कि पहचान पत्र पर अंकित है)	सदस्य खंड -ग्राहक के नाम के लिए फ़ील्ड नंबर 6,7,8
2. बैंक द्वारा स्वीकार किए जाने वाले पहचान दस्तावेज़ का स्वरूप	सदस्य खंड – अन्य आइडी प्रकार विवरण के लिए फ़ील्ड नंबर 32, 34,36
3. यदि उपलब्ध हो तो बैंक द्वारा स्वीकार किए गए पहचान पत्र का विशिष्ट क्रमांक।	सदस्य खंड - अन्य आईडी मान के लिए फ़ील्ड संख्या 33, 35, 37; सदस्य खंड - आधार आईडी, मृतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड संख्या जैसे फ़ील्ड के लिए फ़ील्ड संख्या 28 से 31 का उपयोग किया जाना चाहिए।
4. जन्म तिथि (DD/MM/YYYY)	सदस्य खंड - सदस्य जन्म तिथि के लिए फील्ड नंबर 10
5. पिता/पति का नाम	सदस्य खंड - सदस्य संबंध विवरण के लिए फील्ड नंबर 17,18,19,20
6. पता (राज्य कोड और पिन कोड के साथ पूरा पता)	एड्रेस सेगमेंट – एड्रेस, स्टेट कोड और पिन कोड के लिए फील्ड नंबर 60, 61, 62
7. पुरुष अथवा महिला	सदस्य खंड - सदस्य लिंग प्रकार के लिए फील्ड नंबर 13
8. उस स्वयं सहायता समूह का नाम जिसका वह व्यक्ति सदस्य है	सदस्य खंड - समूह पहचानकर्ता के लिए फ़ील्ड संख्या 5; इस फ़ील्ड को 'समूह विशिष्ट आईडी^समूह नाम' को कैप्चर करने के लिए संशोधित किया गया है।
9. एसएचजी का बचत खाता नंबर	सदस्य खंड - सदस्य के बचत बैंक विवरण के लिए फील्ड नंबर 45,46, 47 (बैंक का नाम, शाखा कोड, खाता)
10. एसएचजी का ऋण खाता नंबर	खाता खंड - खाते के लिए फ़ील्ड संख्या 66 संख्या
11. बैंक द्वारा उपयोग किए गए किसी अन्य पहचान दस्तावेज़ का संदर्भ क्रमांक	सदस्य खंड - अन्य आईडी मान के लिए फ़ील्ड नंबर 28-31 और 35, 37
12. सदस्य का शैक्षिक स्तर	सदस्य खंड - सदस्य की शैक्षिक योग्यता पर फील्ड नंबर 42
13. मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)	सदस्य खंड - कुल मासिक पारिवारिक आय के लिए फील्ड नंबर 49
14. व्यवसाय	सदस्य खंड - व्यवसाय के लिए फील्ड नंबर 48
15. सामाजिक स्तर	सदस्य खंड - सदस्य जाति के लिए फील्ड नंबर 52
16. मोबाइल नं.	सदस्य खंड - सदस्य के फोन नंबर के लिए फील्ड नंबर 39, 41

[17] भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न क्रेडिट संस्थानों (सीआई) और केंद्रीय क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक तकनीकी कार्य समूह का गठन किया है। इस समूह का प्राथमिक उद्देश्य डेटा प्रारूपों की समीक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर उनमें संशोधन करने की एक सतत प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना है। यह समूह सीआई द्वारा सीआईसी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा रिपोर्ट करने के उद्देश्य से सारणी का 3 (व्यक्तिगत एसएचजी सदस्यों की जानकारी) को उपयुक्त रूप से अनुकूलित करेगा।

II. क्रेडिट संबंधी जानकारी[18]	
17. सदस्य द्वारा एसएचजी ऋण से लिए गए ऋण की राशि	खाता खंड - संवितरित कुल राशि के लिए फील्ड नंबर 83

[18] यदि समूह ऋण की राशि **₹1,00,000/- (एक लाख रुपये)** तक है तो लागू नहीं होगा।

सारणी 4: एसएचजी के नए बचत बैंक खाते खोलने के समय एकत्र की जाने वाली व्यक्तिगत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों की जानकारी

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
1. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) का नाम		एसएचजी सदस्य द्वारा भरा जाना है
2. एसएचजी का बचत बैंक खाता संख्या		बैंक द्वारा आवंटित की जाएगी
3. एसएचजी सदस्य का नाम		जैसा कि सीआई द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ पर अंकित है
4. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़		आधार कार्ड नंबर / वोटर आईडी / पैन / ड्राइविंग लाइसेंस / नरेगा कार्ड / पासपोर्ट[19]
5. बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ की विशिष्ट संख्या (यदि उपलब्ध हो)		दस्तावेज़ी प्रमाण आवश्यक
6. पिता/पति का नाम		जैसा कि बैंक द्वारा स्वीकृत पहचान दस्तावेज़ में उल्लिखित है
7. पुरुष या महिला		जैसा कि एसएचजी सदस्य द्वारा घोषित किया गया है
8. जन्म तिथि (यदि पहचान दस्तावेज़ पर मुद्रित हो)		दिन/माह/वर्ष

[19] बैंकों को विशेष रूप से यह देखना चाहिए कि क्या कोई एसएचजी सदस्य भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंक – अपने ग्राहक को जानिए) निदेश, 2025 (यथासमय संशोधित) के दायरे में आता है। ये निदेश पहचान के प्रमाण के लिए सरलीकृत उपायों के परिचय से संबंधित हैं और उन्हें लघु जमा खाते या बुनियादी बचत बैंक जमा खाता खोलने की पेशकश करता है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह सदस्य उपरोक्त निदेशों के तहत ऐसा खाता खोलना चाहता है तो वहाँ अपने ग्राहक को जानिए प्रक्रिया को भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित परिपत्र के अनुसार संपन्न किया जाना चाहिए और उसकी जानकारी केंद्रीय केवाईसी रजिस्ट्री और क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्ट किया जाना चाहिए।

अपेक्षित विवरण	प्रदत्त विवरण	आधार
9. पता (राज्य कोड और पिन कोड सहित पूरा पता)		घोषणा के आधार पर[20]
10. अन्य मौजूदा बैंक खातों की जानकारी		घोषणा के आधार पर
11. शैक्षिक स्तर	**प्रयोज्य कोड:** निरक्षर: 1 पाँचवीं उत्तीर्ण: 2 आठवीं उत्तीर्ण: 3 दसवीं उत्तीर्ण: 4 दसवीं से ऊपर: 5	घोषणा के आधार पर
12. व्यवसाय	**प्रयोज्य कोड:** गृहिणी: 1 भूमिहीन मजदूर: 2 सीमांत किसान: 3 लघु किसान: 4	घोषणा के आधार पर
13. मासिक पारिवारिक आय (रुपये में)		घोषणा के आधार पर
14. सामाजिक स्तर	**प्रयोज्य कोड:** अनुसूचित जाति (एससी): 1 अनुसूचित जनजाति (एसटी): 2 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी): 3 सामान्य: 5	घोषणा के आधार पर
15. मोबाइल नंबर (यदि उपलब्ध हो)		घोषणा के आधार पर

[20] बैंक द्वारा केंद्रीय केवायसी रजिस्ट्री से जानकारी प्राप्त कर ली जाएगी।

अनुबंध IV

सरफेसी अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सुरक्षित संपत्ति की जानकारी

क्र. सं.	शाखा का नाम	राज्य	उधार कर्ता का नाम	गारंटीकर्ता का नाम (जहाँ लागू हो)	उधारकर्ता का पंजीकृत पता	गारंटीकर्ता का पंजीकृत पता (जहाँ लागू हो)	बकाया राशि (₹ में)	आस्ति वर्गीकरण	परिसंपत्ति वर्गीकरण की तिथि	कब्जे में ली गई सुरक्षित संपत्ति का विवरण	कब्जे में ली गई सुरक्षित संपत्ति के हकदार का नाम

अनुबंध V

यूनिफ़ॉर्म क्रेडिट रिपोर्टिंग फॉर्मेट में संशोधन

1. वाणिज्यिक ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप में 'फैक्स नंबर' फील्ड का नाम बदलकर 'ईमेल आईडी' कर दिया जाएगा।
2. एमएफआई (सूक्ष्म वित्त संस्था) ब्यूरो रिपोर्टिंग प्रारूप के तहत 'डमी' फील्ड का नाम बदलकर 'ईमेल आईडी' कर दिया जाएगा।
3. उपरोक्त क्षेत्रों को 'जब उपलब्ध हो' श्रेणी में ही वर्गीकृत किया जाएगा।

अनुबंध VI

क्रेडिट सूचना की रिपोर्ट करने के लिए समय-सीमा पर उदाहरण

	क्रेडिट सूचना रिपोर्ट किए जाने की तिथि	**सीआई सीआईसी के साथ डेटा साझा करेंगे**	**सीआईसी क्रेडिट सूचना दर्ज करेंगे और सुधार रिपोर्ट सीआई के साथ साझा करेंगे**	**सीआई द्वारा सीआईसी के साथ अस्वीकृत डेटा में सुधार साझा करेंगे**
महीने का दिन	9वां	13 वां	16 वां	20 वां
	16 वां	20 वां	23वां	27 वां
	23वां	27 वां	30 वां	अगले महीने की 5 तारीख
	महीने का अंतिम दिन	अगले महीने की 5 तारीख	अगले महीने की 8 तारीख	अगले महीने की 13 तारीख